

out getting Belgaum city, what objection they have got to merge with Maharashtra without getting Belgaum? These are three or four questions which create doubts in the minds of the people in the border areas and people in Maharashtra. There are many obstacles in regard to the formation of Vishal Gomantak.

When the Marathi-speaking people in the border areas are agitating and they are prepared to form Vishal Gomantak, this only indicates how frustrated they are, how desperate they have become to get out of Karnataka. Sir, Marathi-speaking people in the border areas are suffering great hardships and injustice. I would like to quote from one article.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Leave all those points.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: I would quote only one or two instances. This is 'Lok Satta' dated 12th March. In an article published in 'Lok Satta' he has given three instances. There was a conference of journalists to be held in Belgaum. It was a Marathi journalists conference. The Karnataka Government had sanctioned Rs. 25,000 and the Belgaum Municipal Corporation had sanctioned Rs. 10,000 for Marathi Journalist conference. Then, pressure was brought and it was said that this was a conference of Marathi journalists and, hence, no financial assistance should be given and the Karnataka Government was forbidden to give any financial assistance.

There is another instance. Mr. Gogte is an industrialist. He was given a licence to establish a yarn mill in Belgaum. But because he was a Marathi-speaking industrialist he was not given land and he was not given the facilities to start a yarn mill for the industrial development of Karnataka. Pressure was brought on Karnataka Government and a lot of obstacles are being created. These are one or two instances which show

and indicate that the Marathi-speaking people are being suppressed in Karnataka. The Government cannot safeguard the interests of the linguistic minorities in Karnataka. For that purpose, it is very essential to solve this border dispute and also to get the Marathi-speaking areas merged with Maharashtra.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1981

II. THE DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL, 1981

SHRIMATI RAJINDER KAUR (Punjab): Sir, I beg to move the following Resolution:

"That this House disapproves the Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Ordinance, 1981 (No. 2 of 1981) promulgated by the President on the 21st January, 1981."

[The Vice-Chairman (Shri Dinesh Goswami) in the Chair]

*I belong to the Minority Community whose population is 1 per cent in India. In order to bring the Gurdwaras in Delhi, belonging to that community, under the control of the Government an ordinance was issued. It was considered as urgent to bring them under control as was the N.S.O., the Bearer Bonds or the Ordinance concerning L.I.C.

This is not the first time. Ever since 1947, it has been the policy of the Government to see how to put the Sikh Gurdwaras under the control of their stooges. Prior to partition, the General Gurdwara Elections were held in 1946. The first meeting

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

[Shrimati Rajinder Kaur]

of the General Body was held in 1948 because it could not be held in 1947 due to communal riots. One of our Akali members Sardar Jaswant Singh, had been killed in the riots. The Government without any provision to that effect, appointed their own member, Shri Prem Singh Prem, in his place. He later became a Minister in Punjab in the Congress Government. The Akali members of Shiromani Gurdwara Committee were bought over towards the congress side. Thereafter, no elections were held for 9 years. What type of persons were installed as President of S.G.P.C. is clear from one example.

It has been our tradition that after offering an Ardas in a Gurdwara, we recite 'Raaj Karegaa Khaalsa'. In order to break that tradition, the then President, Shri Ishar Singh Majhail, had said in Fatehgarh Sahib that the times had changed and the recitation of 'Raaj Karegaa Khaalsa' be discontinued.

Mr. Vice-Chairman, Sir, no elections were held for 9 years. Thereafter, when the elections were held, the Congressmen formed a 'Khalsa Darbar' and fought the elections under it. But what was the result? Out of 140 members, only 3 could win under this banner and 137 lost in the S.G.P.C. elections.

Sir, they did not stop at that. After a year they again started the horsetrading. The Gurdwara Committee was snatched away from the Akali Dal. It went into the hands of the Congressmen. But the margin was very narrow. We had lost by two votes only and they had won by that margin. They felt concerned over the narrow margin and Shri Partap Singh Kairon, overnight, nominated 35 members from PEPSU to the Gurdwara Committee all of whom were Congressmen. We organised an agitation against it. Consequently, an agreement was reached which is

called the Nehru-Tara Singh Pact. It had been provided in that Pact that no such amendment shall be made in the Gurdwaras Act in future without prior approval of Shiromani Gurdwara Committee with two thirds majority.

The day this Bill was introduced, the Home Minister had said that the opinion of the M.L.A.s was also necessary for amending the Gurdwaras Act. Before partition, the Sikhs M.L.As. used to be the representatives of the Sikhs because there was a separate electorate. The Sikhs voting for Sikhs only. Thus they had say in amending the Punjab Gurdwara Act. But all Sikhs who win elections and become M.L.A.s or M.P.s in these days are not the representatives of the Sikhs.

According to our election system, even the Communist Party may come into power in Punjab. The Communists have no faith in Sikhism nor do they claim any, their right to interfere in the affairs of Gurdwaras. But shall we give a right of interference in the affairs of Gurdwaras to all those persons who simply look like Sikhs?

It was also said that if Akali Ministers can interfere in Gurdwara Management why can't the Congressmen Ministers do that. If the Congressmen choose to interfere in Gurdwaras as Sikhs they may do it after relinquishing their Ministership. They have no right to interfere as Ministers and use their political powers to capture Gurdwara Management.

I had charged on the introduction of the bill that Gianiji had sent for the members. He denied the charge. I accept his statement. I am also liable to commit a mistake. Actually, he did not call them personally. One Mr. Mal Singh, of Gandhi Nagar, had brought three members to him. Those members promised to vote for the Congress stooge. Gianiji believed

their words and allowed them to rest at their residence. But, after all, we have also been fighting against this Government for the last 33 years and we are not so weak. We caught hold of those members and did not allow them to fall in their clutches again. The Minister, however, managed to whisk away one of our members. He was not allowed to be present. We will earnestly hope from the Hon'ble Home Minister that he will not try to make any member absent in the next elections.

Sir, he has said that the Nehru-Tara Singh Pact is applicable to Punjab only. He said that since the Delhi Gurdwaras Act came into being later, the Pact is not applicable in Delhi. Even if the Pact were not applicable in Delhi, is it not against the very spirit in which the Pact had been signed. In order to instal a particular individual as President, the Government reversed the Agreement and that too when the population of our community is just 1 per cent. But we are only 1 per cent of the population. 7 to 8 per cent of our total population is in Delhi. An ordinance was issued to bring the Gurdwaras belonging to 7 to 8 per cent of our population under their control.

Those of my brethren members belonging to other provinces than Punjab fail to understand why the Government is so much involved in the affairs of Gurdwaras the answer is simple that the entire life of the Sikh people revolves around the Gurdwaras. All their social, linguistic, religious, political activities take place in the vicinity of the Gurdwaras. That is why every Government is keen controlling the Gurdwaras—be it the Moghuls or the British. The British tried to control the Gurdwara—through their stooges, the Mahants who declared the Gadri Baba as Tanakhaca and offered a Saropa to General Dyer the killer of Jallianwala Bagh. On this Sikhs got agitated and the Gurdwaras Reforms Movement was launched. The Britishers interfer-

red once but after getting defeated they did not interfere again. But the Congressmen do not refrain from interference inspite of facing a defeat time and against.

They promulgated the Ordinance for amending the Delhi Gurdwaras Act. When the Delhi Gurdwaras Act was passed, the circumstances were, no doubt, such as to call for such an Act. But if you say that the Act had been passed after being circulated for eliciting public opinion, it is not correct. That was brought on the recommendations of a Board only appointed by the Government. There are many flaws in the Act. One of the flaws is that the Principals and Professors of the Schools and Colleges run by the Delhi Gurdwara Committee, are eligible for the membership of the Delhi Gurdwara Committee. In such a case, a Professor may become the General Secretary or the President of the Committee and, consequently, his Principal will come under his control. What a glaring anomaly is this! Nobody ever tried to remove this anomaly.

There is another provision in the Gurdwaras Act and I think it has been made deliberately. The Act provides that no person can continue to be a Member of the Executive Board or an Office bearer for more than two years. Such a condition has not been made applicable to the President of India. He may continue in office even for a period of twenty years. As a matter of fact, our politicians never retire. They are retired only by Dharmaraja, the God of death. Then why such a condition has been put in the case of Gurdwara Committee? The reason is obvious. The Government did not like any Sikh leadership to emerge in Delhi. During the first year of their tenure, people are not even able to understand wherefrom the Funds of the Gurdwaras are collected and what for they are spent. When they are able to understand, they are told that

[Shrimati Rajinder Kaur]

they cannot become Members of the Executive Board or office bearers any more.

It was said here that the clause had been approved by the Delhi Gurdwara Committee. I have also received a copy of the Resolution passed by the Delhi Gurdwara Committee. I was present in that meeting. The clause had not been passed. Some of the members had said that it should be there. We were not opposed to it. But that Resolution stood as the 11th item on the Agenda. None of the first 10 recommendations has been accepted. It has also been said that the Delhi Executive Board had made this recommendations. I have got a copy of that recommendation too. The recommendations had been made when a state of emergency was in force and Gianiji was the Chief Minister of Punjab. At that time also he had helped the Jathedar indirectly. The then Executive had sent a resolution to the effect that it should be done away with. But that was not the only suggestion made. There were two or three more clauses. They had also demanded that the time-limit of two years should be removed; the election expenses should be borne by the Government, as is done in Punjab, and those expenses should not be recovered from the Delhi Gurdwara Committee. The Government ignored all those clauses.

If the Government really feels concerned about the affairs of the Gurdwaras it should be concerned with improving management. But I think the present Bill shows the concern of Government in making the management as had as possible. They should have brought a comprehensive Bill and the opinion of the House should have been taken thereon. Members would have expressed their views thereon and thereafter alone Government should have arrived at some decision. There is no jus-

tification for the promulgation of this Ordinance and the purpose for which the Ordinance had been promulgated was also not achieved. There is a saying in Punjabi which is unparliamentary but I think I should quote it. Nobody should take it seriously.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): If it is unparliamentary, kindly do not. If it is unparliamentary in Punjabi, it will be unparliamentary in other languages also.

SHRIMATI RAJINDER KAUR: I don't think you will be able to follow it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I cannot give this indulgence for something which is unparliamentary in Punjabi. Then everybody will start using unparliamentary language in Parliament.

*SHRIMATI RAJINDER KAUR: If it is unparliamentary, then you may take it out. *The saying is Kheh Wi Khadi, Bhuke W. Rehae.

They stooped so low yet they could not achieve this objective. The entire Government machinery was engaged in winning over the members by self and power. If I take the name of the Prime Minister the Hon'ble Members on that side will be agitated. But it would have been better if she herself had been present in the House to deny the charges. None else has the right to deny on her behalf.

What business had Mr. Dhawan to promise to make a Gurdwara Committee Member as a member of National Committee on Railways to have free passes. Plots were allotted to certain members. I do not want to name certain persons because they cannot defend themselves in the House, but if they like, I can tell their names. I think it is but fair

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

to name the Ministers. Sardar Boota Singh had been on his run throughout the day. One Babu Singh Transport and Harnam Singh Transport packed their trucks with riflemen and kept standing the whole day near Gurdwara Sisganj. They were there even on the day of the election. They were sent inside and a lock was put on the main entrance to the Gurdwara. When I passed that way, I asked them to open the door since I had to offer my prayers. Then alone people could enter. I had told them that we were not at all scared of pistols and guns.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You conclude now.

SHRIMATI RAJINDER KAUR: Sir, how can I stop. I have to give vent to my pent-up feelings of 33 years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mrs. Kaur, I have not asked you to stop. But how long will you take to conclude? You have already taken 15 minutes.

SHRIMATI RAJINDER KAUR: I will take 10—15 minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I will request you to finish by 4.00 P.M.

*SHRIMATI RAJINDER KAUR: Mr. Vice-Chairman Sir, in spite of doing everything they wanted to get a particular individual installed as President. But we had 26 supporters, one more who had been whisked away by the Government Party. He had only 24 supporters. We tried our level best that the elections be held. The Officials of the Election Commission were also present there. Everything happened in their presence. We asked them to hold the elections because we were expecting 4 votes from their supporters also. But they did not hold the election.

*English translation of the original delivered in Punjabi.

When we held the elections on our own and won the office of the President, the (outgoing) President declared that the elections were not at all held. He wrote that the meeting had been adjourned.

Apart from this, there is a glaring anomaly. There is no provisions in the Act to call another meeting on a fresh notice. Even today you will find policemen in Mufti near Gurdwara Sisganj. They are afraid lest we should occupy it forcibly. All this is being done by a party which proclaims to be the supporter of Democracy and the Champion of the Minorities.

I fail to understand their logic. Twenty banks were nationalised. Nobody raised any accusing finger on the chairman of any bank. The Sikhs have only one bank whose growth rate is maximum in the world. But people are after that very Bank and its Chairman.

Ours is a minority whose population is only 1 per cent but its contribution to the country is out of proportion to their number. During the struggle for independence 120 persons were hanged. Out of them 97 were Sikhs. During the wars with Pakistan, China or the Bangladesh, the number of Sikhs was the highest among those who made the supreme sacrifice. The Government has been reducing the number of Sikhs in the Armed Forces from 25 per cent. On the eve of independence it has been reduced to 11 per cent.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: (Himachal Pradesh): All of them were not Akalis.

*SHRIMATI RAJINDER KAUR: All the Sikhs are Akalis if you peep into their heart. You do not know theology. Akali means—one who belongs to Akal, timeless God, and one who has the guts to fight for the right and just. That is the meaning

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

[Shrimati Rajinder Kaur]

of the word 'Akali' for your kind information. Khalsa is different. (Interruptions) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): They are all trying to divert your attention.

SHRIMATI RAJINDER KAUR: I know that. My attention is diverted when somebody asks a question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please continue.

*SHRIMATI RAJINDER KAUR: At the time of partition, we left behind our hearths and homes the land of our fore-fathers. We made the supreme sacrifice of leaving behind even the birth place of Guru Nanak which is as dear to us as Mecca to the Muslims. No sooner did we arrive in India than the Congress Government starting issuing Ordinances. If this is the attitude of the Congress towards us with whom they had joined hands in the independence struggle, what shall be the fate of other minority communities. Shri Kairon was the General Secretary of the Akali Dal when he became General Secretary of the Congress.

Whichever Government has attacked the Gurdwaras, it had to eat the humble pie. The British Government had to eat crow. The Congress will meet the same fate.

If they want to contest elections they should do so as Congressmen and should not try for back-door entry.

Someone told me that Master Tara Singh Akali Dal had welcomed this measure. I asked him whether he would accept it as genuine if someone opens a wine-shop and names it Mahatma Gandhi Wine Store. Master Tara Singh had been fighting throughout his life against Government inter-

ference in the Gurdwara. The man who is requesting the Government to interfere in Gurdwaras cannot be a follower of Master Tara Singh. He had said that the interference in the affairs of the Gurdwaras by the Government will never be tolerated.

That a person should say that he is the representative of Indira Gandhi as he has said in a public statement that whatever she does is right, what can we do about it if he calls himself the follower of Master Tara Singh. He be fooled the people during the General Elections of D.G.M.C. He, no doubt, won a few seats. But how did he win? Overnight, they formed Master Tara Singh Akali Dal. And Master Tara Singh's name has still its sway in Delhi.

Let him contest against us on his own. Why do you pat him on the back? You offer allurements to people. You offer them appointments on Sales Tax Commission or Delhi Transport Authority. The son of one of our Voters was taken away by the police at midnight for interrogation. Is it the way a Government should function?

Sir, they say that they are also Sikhs, they also enjoy the rights to manage the Gurdwaras. As Sikhs they have all the rights. But we can never concede their right as Minister to interfere in Gurdwara Management nor shall we do so in future. The Government must refrain from such acts. If they do not, they themselves will be responsible for the consequences. If they do not hold themselves back against interference in the affairs of the Gurdwaras and if ever there be a rebellion, I think, I shall be the first to rebel.

Thank you, Sir.

4 P.M.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (GANI ZAIL SINGH): Sir, I move:

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

"That the Bill further to amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971, be taken into consideration."

उपसभाध्यक्ष साहब, यह गुरुद्वारा एकट
जो था वह इंग्लिश में ही बना था ।
पंजाबी में उस का वाद में तरजुमा किया
गया था । मुझे ख्याल नहीं रहा, नहीं
तो मैं इन चार शब्दों का भी तरजुमा
पंजाबी में करवा लेता । (उद्बोधन)
पंजाबी में बोलना मेरे लिये मुश्किल नहीं
है ।

एक माननीय सदस्य : बोलिये
बोलिये । मजा आ जायेगा ।

*GIANI ZAIL SINGH: Mr. Vice-Chairman, it is easier for me to speak in Punjabi. While moving the Bill. I would like to say a few words about the Resolution moved by Bibi Rajinder Kaur. I shall, no doubt, reply to the objections which were raised during the consideration stage of the Bill. The Resolution is unnecessary. It was not called for because the Amendment which we have brought is on the lines of Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, Amritsar. In this House, as well as in Lok Sabha, when the Bill was brought in 1971, all the Akali members had opposed this clause and had said, that these conditions should not be there. The other demands related to some amendments which we had not accepted as they needed lot of consideration. S.G.P.C. President Shri G. S. Tohra had written a letter to me in which he had referred to the Pact with Master Tara Singh. In reply to that letter I had written to him that the Pact had nothing to do with the amendment. The Executive Board of D.G.P.C. had passed a Resolution. It was Resolution No 6, dated 12-6-1976. After discussion on this clause they had observed:

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

"We feel that the above provision is undemocratic. It is redundant and irrelevant, in view of the fact that in no other elected offices in the country, such as even of the State Chief Minister, this clause is being specified. This clause requires deletion."

This is a resolution of the Delhi Gurdwara Board. Thereafter, many deputations have called on me and they also said that this Amendment should be made. Bibi Rajinder Kaur has said that since 1948 the Government has been trying to interfere in the Management of the Gurdwaras and this minority consists of only 1 per cent population of the country and their affairs are interfered with. I would like to make it clear that it has never been the Government's intention to interfere in the religious affairs of any community. We, on the contrary believe that religion and religious affairs should be kept aloof from politics. I would welcome, and my entire party will support it, if Bibiji brings a resolution to the effect that those who become members of the Gurdwara Prabandhak Committees should neither become Member of Parliament nor Ministers, nor Members of the Legislatures nor even Municipal Councillors, but should be exclusively religious persons. Then we will also not take interest in interfere in the affairs of the Gurdwaras.

*SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA (Punjab): Ours is an elected body. Anybody can get himself elected. But you had nominated some persons were they exclusively religious persons? Can you say that they were not connected with your party?

*GIANI ZAIL SINGH: I think, Sir, that the President S.G.P.C. should ask you for sometime and then express his views. It is an old incident when a Board had been nominated.

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

[Giani Jail Singh]

If we indulge in discussion over that issue, a lot of time of the House will be wasted. At that time five members had been nominated. I was not in the Central Government at that time. I have read in the newspapers that there were five members on that Board who voted in favour of this Act. Mr. Tohra had made a speech on this Act. That is dated 24-12-71. When this very Bill had been brought in this House, he had said:

“एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि इस बिल में ओहदेदार के लिए एजुकेशन की बात रखी गई है। वैसे जानी तौर पर मैं इस बात को नहीं मानता हूँ लेकिन यही भी हमारे विधान के मुताबिक एक डिस्ट्रिक्मिनेशन है कि एक मेम्बर बन सकता है लेकिन ओहदेदार नहीं बन सकता है, अगर यह मैट्रिक पास नहीं है या जाना नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जम्हूरी कदम नहीं है और इस बिल में अगर इस चीज को ठीक कर दिया जाए तो अच्छा होगा। अन्त में फिर इस बिल का स्वागत करना हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।”

*At that time Mr. Pant was the Minister of State in the Ministry of Home Affairs. Mr. Tohra had congratulated him and had objected to this clause only. He had not raised any other objection. On the contrary, he had welcomed the Bill.

Sir, I was submitting that the statement of Bibi Kaur that Mr. Kairon had nominated five members from PEPSU, is incorrect 35 Members were got elected from PEPSU after its merger with Punjab. Their election was indirect. Those Members were elected with the votes of those Sikh Members who had been elected from the Panchayats. Anyway, it is an old

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

story of the days of Mr. Kairon. It is a misconception that there was any intention to interfere. Even then, I refute their claim that Akalis alone can be the representatives of the Sikhs. It is proved neither by history of the Sikh Panth nor by the history of the Sikhs. The Sikh Panth is that in which all those are included who believe in Guru Nanak, Guru Gobind Singh and the 10 Gurus. Unless all such persons join it, it cannot be treated as a Panth. Shiromani Akali Dal is a party. It is a faction of the Sikhs. Sometimes it enlarges its size while at others it squeezes itself. These days there are three different Shiromani Akali Dals. One of them is headed by Shri Talwandi, another is led by Shri Longawal, while the third one is called Master Tara Singh. Akali Dal, the President of which is Jathedar Santokh Singh. It is very difficult for us to decide as to which of the three should be recognised as Panth. I would tell Bibi Kaur that as she is the daughter of a great Sikh—Master Tara Singh, she must be conversant with the Sikh principles. She is mistaken that Shri Majhel had put a ban on the recitation of *Shabad*. Shri Majhel had not banned the recitation of *Shabad*. Moreover, this is not *Shabad* but a couplet written by a poet which is recited by the Sikhs after offering *Ardasa* irrespective of the fact whether they are Congressmen or Akali or affiliated to any other party. The couplet is “Raaj Karenga Khalsa, Aaqi rahe na koye. Khwar hoye sab milange, bache sharan jo hove.”

*SHRIMATI RAJINDER KAUR: I have got the pamphlet in which it had been written that it need not be recited in future.

*GIANI ZAIL SINGH: Bibiji, I have listened to you very patiently. If the Vice-Chairman wants to give you still more time to speak I have no objection. I shall be happy. But I would certainly like to clear the misunderstanding.

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

Secondly they say that the Congressmen Sikhs can interfere provided they relinquish their Ministership, but the Akalis can interfere even while being Ministers. What sort of justice is this? Where is this written? Let the learned people who are an authority on Sikh Panth be selected. They should prove to me whether anyone other than an Akali can be a Sikh or not. If they give a FATWA that none but an Akali is a Sikh, I will take her statement to be correct. I would like to make it clear that the religious rights of a person—be he a communist, a Congressman, a Jansanghi—cannot be taken away only by his becoming a Minister. Shiromani Akali Dal is not the custodian of Sikhism. Sikhism jointly belongs to all. I am expected to leave my Ministership but if Shri Surjit Singh Barnala or Mr. Badal interferes in the elections, distributes money or distributes even the discretionary fund of the Ministers for elections, all is fair. If a Congressman Sikh gives even advice to someone on voting, it is unfair. I am not at all prepared to accept this logic.

In spite of being a Congressman, the right of mine or of any colleague of mine to give his advice regarding Gurdwaras, cannot be taken away on becoming a Minister or an Officer. Therefore, I would request the hon'ble lady Member to reform herself in this regard. This is against the basic principles of Sikhism. Guru Gobind Singh Maharaj has himself said: "Bhaekh dikhay Jagat Ko, Logan Ko Vash Keen; Ant Kaal Katye, Vas Narak Mo Leen." It can never be accepted in Sikhism that a person who wears a particular type of dress or leads a particular life style, can alone be a Sikh and not others. This is against the basic tenets of Sikhism. I would, therefore, say that they should make a further study of history, a deep study of the history so that their visions become larger and broader and they know what Sikhism is and what the feelings

of the people about Sikhism are. Mr. Chairman, Sir, I do not wish to take any more time of the House I will simply say that Bibiji should not have brought this Resolution. We have brought this Amendment on the lines of SGPC and in conformity with the views expressed by the Akali Members at the time of passage of the Act so that it could be improved upon.

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Pant. Could you finish within ten minutes?

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT (Uttar Pradesh): I think so. Gianiji referred to the fact that I had piloted the original Bill, the Sikh Gurdwara Bill 1971. And, therefore, it is perhaps only appropriate that I should give something of the background. But Shrimati Rajinder Kaur, I think, referred to the motive of the Government in 1971 when that Bill was first brought. And since I was so intimately connected with it, I think I should certainly come out now with the correct position. Sir, I do not want to get involved in the broader discussion of the role of the Akali Dal. There is no doubt that the Akali Dal is an important political factor in the Punjab, and that it has had an important place in the political evolution before Independence and after in the Punjab. It has passed through two phases, and there was a time when it was a vehicle for the national struggle. Later on, they branched away. Therefore today to recount all that would take a long time. But I agree with Gianiji that the Akali Dal cannot possibly claim that it alone represents the Sikhs. There are Sikhs in all the parties on the political front. My friend, Mr. Surjeet is of the CPM. He is building his own image and identity in Punjab and sometimes the Akalis don't know how much they are helping him. They will know to their cost perhaps later. I am warning them.

[Shri Krishna Chandra Pant]

He, the CPI and the Jana Sangh can all claim their own political support. But quite apart from politics the Sikh community is a community of great vitality in this country. They have made Punjab the granary of this country. It has contributed to its rich culture, to its literature, to its songs and to its dances. It has contributed to the Army in a big way and to all fields of national life. The Sikhs have made a very rich contribution. Therefore, we should never take a narrow view when we speak of a community. I would plead with my Akali friends that when they discuss problems like these they should remember that we are as concerned as they are about the rights of the Sikhs and when we say it, it is more meaningful. I can assure them that the people like me would feel highly offended if the Government—whether I am in it or out of it—were to intrude upon the rights as well the responsibilities of the Gurdwaras. Therefore, it is against this background that I would like to say quite clearly that when the Delhi Sikh Gurdwara Bill was formulated in 1971, our main approach in the Government was that the Sikh Community of Delhi must be consulted and that their approval must be obtained towards any Bill that is brought before the House. At that time, there was a Board. Bibi Ji referred to it. That Board consisted of eminent personalities.

AN HON. MEMBER: They were all Congressmen.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT: There were all Sikhs headed by Sardar Joginder Singh. There were ex-judges in it also. There were ex-Judges also in it. There were others also. They were not all Congressmen. I think, the record is there. You can look at the names. And in any case they were good Sikhs. Do you say that they are bad

Sikhs? They were good Sikhs and they were people who commanded influence in the community. They were the persons who commanded the faith of the community, the confidence of the community. And, I think, in their one year's functioning in Delhi, nobody raised a finger against their working. After all, the Delhi Gurdwara earns about one crore of rupees per year.

SHRIMATI RAJINDER KAUR: Now three crores.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT: Now, it has gone upto Rs. 3 crores. It was Rs. 1 crore at that time. Has anybody till today raised a finger against the 5 or 6 people in the Board? Therefore, Sir, let us not talk lightly of people, many of whom are not there in the world today. They did yeoman service and they have contributed in a significant manner not only during that one year's functioning in Delhi but in formulating this Bill. And I think Tohrajji knows it that even at that stage, this Board was asked by us to consult the Sikh opinion in Delhi. And as far as I know, they took great pains to consult the Sikhs of Delhi. They might not have pleased everybody but they gave the Government the consensus of opinion that they came across, and we accepted their recommendations. They only departure we made—and I was responsible for it—was one about which Tohrajji was very keen. There was no link between the SGPC and the Delhi Sikh Gurdwara Committee in Delhi. To begin with, there was not a single member. But Tohrajji was very keen and others were very keen that the SGPC must have some link and therefore, we included a member from the SGPC also. And as far as I remember, except for one or two points, by and large, Shri Tohra was satisfied with the Bill as it came out in the final form.

Now, Sir, this is the background. And, therefore, frankly speaking, I am somewhat surprised now that the Government has thought it fit to

bring an Ordinance to change this provision. This is how this Bill was brought forward. And now suddenly, through an Ordinance changing this particular provision is something which I have not been able to understand because it reflected the opinion of the Sikh community in Delhi when it was brought. And now, I think, the reason behind this is also obvious. I told you about the income, the people generally wanted it. And since this seems to reflect the consensus in the Sikh community in Delhi, I found myself very sympathetic with this particular provision. After all, it does not preclude anybody who is not a matric or a Giani from becoming a member of the Governing Body, but only in the case of the President or an office bearer. That is all. And for a body which earns or which gets through *chadava* Rs. 3 crores, to manage it well, if a certain minimum qualification is laid down, is it against the interest of the community? I for one, Sir, realise that democratic principles are important. But where an institution earns Rs. 3 crores a year, is this a very harsh qualification that has been laid down? Will it be against the interests of the community? I personally think that the community loses nothing in it.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) :

पंत जी, क्या एकैदमक क्वालीफिकेशन प्रबंध समिति के अध्यक्ष होने के लिए जरूरी है?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जरूरी नहीं है।

श्री रामानन्द यादव : आपके सामने अशोक और अकबर तथा दूसरे बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर वर्ल्ड में हुए हैं। महाराजा रणजीत सिंह भी थे, उनकी क्या क्वालीफिकेशन थी?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : बैठिये, बैठिये, आप तशरीफ रखिये। महाराजा रणजीत सिंह की बात कहिए वह ज्यादा एप्रोप्रिएट है यहाँ। तो इसलिए उस जमाने में जाने की बात नहीं है, उस जमाने में न गुरुद्वारे इस तरह के होते

थे, न अकबर ने जमाने में न अशोक के जमाने में होते थे, आपको जायद समझ में नहीं आया कि बिल किसके बारे में है।

Therefore, Sir, the point is: Why was this Ordinance brought? And, I think, Gianiji should have explained it. The main criticism is that this was done through an Ordinance. Suppose Gianiji went to the Sikh community in Delhi and obtained their approval for this particular change, I for one would have no objection to it. I for one would have no objection to it. If the Sikhs of Delhi want to change it, by all means change it, but why through an Ordinance? There is a process which could have been gone through and if the Sikhs of Delhi wanted this change, the change could have been brought about because it is for them to decide. It is not for me to decide. I would, in any case, go along with the opinion of Sikhs. But Gianiji has not explained why the Ordinance was necessary. The main objection is why this should have been done through an Ordinance? And, secondly, we should be satisfied that this represents the opinion of the Sikh community of Delhi. On these two points Gianiji must satisfy us before we can extend any support to this Bill.

श्री हरबेन्द्र सिंह हंसपाल : (पंजाब) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे गुरुद्वारा (अमेंडमेंट) बिल के ऊपर... (व्यवधान)

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) :
पंजाबी में बोलिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You please speak in any language you like. Let us not enter into this controversy

श्री हरबेन्द्र सिंह हंसपाल : हिंदी में ज्यादा लोग समझ सकेंगे। पंजाबी में बोलेंगे तो (व्यवधान)

सरदार गुरुचरण सिंह टोहड़ा : तुमी पंजाबी
बिच बोलो ।

श्री रामानन्द यादव : भाई दिक्कत होती
है । हम लोग समझ नहीं पाते हैं ।

*SHRI HARVENDAR SINGH
HANSPAL: I accept Mr. Tohra's sug-
gestion. I shall speak in Punjabi.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Amendment to the Act moved by Gianiji and to oppose the Resolution moved by Bibiji Rajinder Kaur. Today we have a democratic set-up in India. Ever since Independence, Democracy is part of our life and it has become our creed. There is no academic qualification stipulated even for the highest elected office in the country. I need not tell that the Head of our State is the President. For holding the office of Prime Minister, Chairman, Speaker/Deputy Chairman, Minister or for becoming an M.P. or M.L.A., no academic qualification has been prescribed. Therefore, it has been only proper that the lacuna left in the Act of 1971 is now being removed. Otherwise, this provision would have been a discrimination until it was removed. Moreover, this clause in the Act appears to be of an undemocratic character. Before I refer to the debate at the time of the passage of the Act in 1971, I would like to refer to certain points mentioned by Shrimati Rajinder Kaur on the 9th March, 1981 when I was not present in the House. Gianiji has of course replied to some of those points.

First, she said that there was political interference in the affairs of Gurdwaras. Secondly, she said that S.G.P.C. had not been consulted. Before I say something about political interference, I would like to make one point clear with regard to SGPC. When this Act was passed in

1925, it was meant for Punjab alone. In Punjab also it was not applicable to all the Gurdwaras. It has been clearly mentioned in the Act that only notified Gurdwaras—a particular number of Gurdwaras—will come under its purview. Therefore, SGPC has not *locus standi* to interfere in any way in the affairs of Delhi Gurdwaras. S.G.P.C.'s jurisdiction is limited to Punjab only. This Act of 1925 can be read and consulted at anytime.

Apart from this, a case had been filed before Justice Balwant Singh Sekhon. He had said in clear words that S.G.P.C. had no jurisdiction in Delhi. Moreover, D.G.P.C. had also passed a Resolution some time back, severing all their links with S.G.P.C.

Moreover, S.G.P.C. is an exclusively religious body. I would like to stress the point that it is an exclusively religious organisation. The political wing thereof is Akali Dal. Shiromani Akali Dal fights elections. It plays a political role on behalf of the Sikhs who are its members. When Shiromani Akali Dal steps out of Amritsar and interferes in the affairs of religious Gurdwaras of Delhi, is it not a political interference? Mr. Chairman, Sir, it is a direct interference because Shiromani Akali Dal is a political Party which contests elections and takes part in all sorts of political activities. I would like to mention here that they fight political elections as well as religious elections in Delhi on the same Election symbol of a BALANCE. Hence their claim that they alone and not other Sikhs can indulge in political interference, is not justified. Those Sikhs are also Sikhs who are not Akalis. I do not know their percentage but they are certainly in a large number. I am reminded of a fact that it was reported in the Press a few days back that the Shiromani Akali Dal has called a meeting, on the 19th March, perhaps, at Anandpur Sahib. And what do they propose to discuss at that meeting? Delhi Gurdwaras Is it not

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

political interference? It is a direct interference on their part and they should be tolerant enough when other Sikhs also take part in it. I would like to mention here that one Member Sulkhan Singh has been elected as an independent candidate to the Delhi Gurdwara Committee. The day he went to fill in his nomination form, an objection was raised at that very stage. Next day, a stay order was obtained against him so that he could not contest the election. Why? Because he did not belong to their party and was not prepared to contest on their symbol. It must be noted that the next day was 2nd October, 1979, when the former Government was in power. Everyone knows that 2nd October is a closed holiday in India and it is such a holiday which is never changed. One such a day, they got a stay against Sulkhan Singh at the residence of the Magistrate. I do not say that the Government had interfered—but is it not political interference? Anyway later on he got the stay vacated and fought the election and won.

I would like to mention here that Bibi Rajinder Kaur referred to Minorities as well as to the Nehru-Tara Singh Pact. The Pact was also referred to by Gianiji. I would like to bring it on record, although Gianiji must be knowing much better, that Nehru-Tara Singh Pact was signed when Sardar Pratap Singh Kairon was the Chief Minister of Punjab. Master Tara Singh charged Shri Kairon that he was interfering in the affairs of Gurdwaras in Punjab. He complained to Pt. Nehru to this effect. At that time Panditji agreed and entered into a Pact. According to the Pact, two persons from Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee and two from the Punjab Government had to be present to listen to complaints. If those four could not arrive at an agreement, the matter was to be decided by the Governor of Punjab. What I mean to say is that the Nehru-Tara Singh Pact was also

basically meant for Punjab. Anyway, whether it could hold further meetings or not, is not relevant at present, but the pact was confined to Punjabi only.

Similarly, she said, while referring to Minorities, that the Sikhs are hardly 1 per cent. A community which is less in number is a Minority Community irrespective of its number or percentage. The Government does not, I believe do any injustice to the Sikhs. But there are minorities even among the Sikhs themselves. I represent such a Minority—The Namdhari Community.

Have they ever thought that we have also share in the Gurdwaras? Have they ever thought that we have also a right of worship in the Gurdwaras; that we can also go to the Gurdwaras and worship according to our faith.

*SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA: It is a question of one's own dignity.

*SHRI HARVENDAR SINGH HANSPAL: All Right. But you object to our worshipping even at our homes. The proposed Amendment, I believe is not the last one. When the Act was passed in 1971, the clause of academic qualifications was inserted because it was the need of that time. Now when the need has been felt for its deletion it is being deleted. Further amendments, if necessary, can also be made to it in future?

Mr. Chairman Sir, I would like to request Mr. Tohra, through you, that the Act should be widened, so that the Sikh Community could enlarge itself lest the Sikh Community should go on shrinking as they have turned Punjab into a small one. Sir, wars have been fought in the world for the extension of borders but we have been fighting for narrowing down our boundaries.

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

[Shri Krishna Chandra Pant]

Gianiiji has read out a portion of Mr. Tohra's speech in which he had supported the Bill in 1971, when it became an Act. He had whole heartedly supported the Bill but had only half-heartedly opposed the clause which is being amended today. He had his apprehension at that time lest this clause should be extended to Punjab also. So far as my information goes, perhaps this for very reason, Mr. Tohra had to pass the Giani Examination in 1972.

Are amendments made? When the Board was appointed in 1971, it consisted of educated persons. They felt that education was necessary. But that does not mean that the natural ability is acquired only through education. When this Act was passed, the Sikhs of Delhi felt the necessity of keeping the clause of Educational Qualifications in the Act.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please conclude now.

SHRI HARVENDAR SINGH HANSPAL: Sir, it is my maiden speech. Please give me some extra time.

*But now when it has been felt that it is a discrimination between the educated and the uneducated, it is being deleted. Many representations to this effect had been received by the Home Minister and by the Prime Minister and many delegations also called on them. One resolution was referred to by Gianiiji, I would like to refer to another. The earlier resolution read out by Gianiiji was No. 6 of 12-6-1976. Apart from that one Resolution No. 11 of 22-1-1980 was passed by General Body of the Gurdwara. In that Resolution it has been stated specifically:

"Moved and Resolved that necessary amendment may be got made to the Delhi Gurdwaras Act for the

deletion of the condition of educational qualifications for Office bearers."

Thereafter, again on 9-1-1981 Shri Jaswant Singh Sethi, President, Delhi Gurdwara Prabandhak Committee, wrote a letter to the Prime Minister that this amendment may be made before the elections, at the earliest. That is why this amendment has been brought. There is no harm in this Amendment. I will give a quotation from Cicero to show as to why this natural ability is necessary:—

"Natural ability without education has more often raised a man to glory and virtue than education without natural ability."

With these words, I once again thank the Vice-Chairman and support the Amendment moved by Gianiiji.

श्री जगन्नाथ राव जोशी (दिल्ली) :

उपसभाध्यक्ष महोदय सदन के सामने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के बारे में जो विधेयक प्रस्तुत है, उसका दायरा बहुत ही छोटा और सीमित है। 1976 में जो एक जिज्ञा की दृष्टि से गुणवत्ता रखी गई थी उसको अब निराल दिया है और उसके लिए यह कहा है कि लोकतंत्र की दृष्टि से जब देश के सर्वश्रेष्ठ पद के लिए भी ऐसी गुणवत्ता की जरूरत नहीं है तो गुरुद्वारा का अध्यक्ष होने के लिए भी यह जरूरी नहीं है। वास्तव में यह बात कि कुल सही है। किन्तु मुझे एक सवाल जाना जा से पूछना है। उन्होंने 'ज्ञानी' शब्द को छोड़ा है। हायर सेकेंडरी, इसकी जरूरत नहीं, मैट्रिक इसकी जरूरत नहीं तो क्या सारे अज्ञानों इकट्ठा हो वहां ? ता इसमें कम से कम ज्ञानी रखना चाहिए था। मैट्रिक निदानों की बात समझ में आती है, लेकिन गुरुद्वारे की सेवा, उसके कामकाज के लिए ज्ञानी की भी जरूरत नहीं है ता पत जी ने कहा तीन करोड़ रुपया इकट्ठा होता है, उसकी देखभाल के लिए, उसका बारोबार करने की दृष्टि से कोई समझदार आदमी चाहिए। वहां पढ़े-लिखे भी नहीं और ज्ञानी भी नहीं तो कैसे काम चलेगा ?

. . . (व्यवधान)

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

श्री रामानन्द यादव : गुरुद्वारों का खाता तो आप देखते हैं, मोशवाड़ी लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं, करोड़ों रुपयों का खाता रखते हैं ? आपका सम्बन्ध उनके साथ रहा है। (व्यवधान)

श्री हरि सिंह नन्दा (हरियाणा) गुरुद्वारे के अन्दर, मंदिरों के अन्दर भारे अज्ञानी होते हैं ?

श्री जगन्नाथ राव जोशी : इसलिए तो मैंने कहा कि ज्ञानी कम से कम रखना चाहिए था। आप भुले भी नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : जोशी जी आप नलका जी से बहरा में मत पड़िये, अपना भाषण जारी रखिये। ... (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ राव जोशी : वास्तव में देश की दृष्टि से जो पंजाब में हुआ है, उसके लिए सारा देश गौरव करता है। जैसे वह गौरवशाली इतिहास भी इसमें सम्बन्धित नहीं है, वैसे ही आपसी झगड़े का भी इससे सम्बन्ध नहीं है। 1971 में जो कानून बनाया था उसे अब निबाला जा रहा है। अब लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है तो यह समय में नहीं आ रहा है कि 1971 में अपने देश के अन्दर लोकतंत्र था कि नहीं ? लोकतंत्र की दृष्टि में साक्षात्कार हो गया। लोकतंत्र उस समय भी था। जब 1925 में पहला ऐक्ट बना, जिन्होंने संघर्ष करके अपनी धार्मिक परंपरा को बनाये रखने की दृष्टि से किमो अंग्रेज का भी हस्तक्षेप सहन नहीं किया और उन्होंने अपने लिए अलग ऐक्ट बनाया तो उस समय माना कि लोकतंत्र था नहीं, लेकिन 1971 में जब लोकतंत्र था ही, उस समय तो संविधान बने हुए भी इतने साल हो गये थे तो लोकतंत्र की जो दुहाई दी जा रही है आज यह बात समय में नहीं आती है।

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका अध्यादेश क्यों जारी किया गया, इस पर आपने प्रकाश नहीं डाला और इसका औचित्य

भी नहीं लगता क्योंकि 1971 में बना विधेयक यदि 1980-81 तक चल सकता है, चला तो आज एकादश अध्यादेश निबालकर इसका करने की क्या जरूरत थी, यह बात मैं जानना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : एक मैकिड में क्या देना हूँ ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश सिंह गोस्वामी) : टोहड़ा जी, आप डिस्कशन में मत पड़िये।

ज्ञानी जैल सिंह : बताने दो।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : इसमें समय बरबाद होगा। ... (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ राव जोशी : इन लोगों ने इस सदन में ऑरिजिनल के बारे में एक अध्यादेश लाकर वहाँ भी हस्तक्षेप करके मामला ठीक करने की कोशिश की। अब जहाँ तक मैं सरकार को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ यानी ठीक नहीं चल रहा ही तो मामला सरकार के हाथ में आ जाने से ठीक होगा, ऐसा नहीं है। हमारी भोपाल की मिल सिर्फ श्री ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : आप गुरुद्वारे में मिल तक चले आये। ... (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ राव जोशी : सरकार का हस्तक्षेप इसमें बहुत अहम भूमिका है। आज आपकी सरकार है, कल दूसरी सरकार होगी तो कल उनको लगेगा कि गलत हो रहा है। तो तबदीली करने का यह जो तरका है इसमें काम नहीं चलेगा। आपको बहुमत के आधार पर पास करने की आदत हो गई, तो यह धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप करने का सवाल आता है।

इसलिए मैं पंत जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी आपको करना है, तबदीली करनी है, नया संशोधन करना है वह पूछकर उनके विचार से, संलाह-मशवरा से करे ताकि वास्तव में उस क्षेत्र में उनके मत में यह तसल्ली हो कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है और इसका चयन

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

मे वह पूर्ण स्वतंत्र है। आरेबिल में हमों देवा कि सरकार ने अपने बहुमत का इस्तेमाल किया। जो कर रहे हैं उभले हमारी वहन राजिन्द्र कौर सहमत होती तो ठीक होता लेकिन सहमत नहीं है। इस सदन के अंदर इसका विरोध है तो बाहर जो इतने सारे सिक्ख हैं उनके अंदर एकमत हो यह जरूरी है। विरोध जरूर होगा। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हस्ताक्षेप ठीक नहीं है। आज लोकतंत्र की दुहाई देकर इसको निकाला जा रहा है। और उसमें कोई विशेषण नहीं है, कोई जानी भी नहीं है, मैट्रीकुलेट नहीं है। कोई भी हो सकता है। यह पहले भी चल सकता था। केवल हिसाब-किताब संभालने के लिये, मुझे यह नहीं लगता कि कोई पढ़ा-लिखा, जिस दृष्टि से हम समझते हैं, वह हो। वास्तविकता तो यह है कि दुनिया में अक्षर के पहले अक्ल आई है। बाकी सारी बातें बाद में आई हैं। इसलिये मैं नहीं समझता कि कोई प्रेजिडी का आन्कार है वह समझदार है। मैं उसको मानने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। विशेषकर धार्मिक संस्थाएँ जो हम चलाते हैं वह एक परम्परा के साथ चलाएँ, पवित्रता के साथ चलाएँ, माँ में श्रद्धा भाव लेकर चलाएँ और समाज के हित को सामने रख कर चलाएँ। इनके सहायक रूप में सरकार आए न कि अपने ही विचार उसमें दूंसने की दृष्टि से आए। पता जो ने जैसा कहा उससे मैं सहमत हूँ कि उनके साथ मलाह-मछिबरा करके उनके विचार का आदर करके कोई तरकीब बनने तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता।

DR. M.M.S. SIDDHU (Uttar Pradesh): Mr. Vice Chairman. Sir, the Dehi Sikh Gurdwaras Act is a product of ordinances. In 1971, the first ordinance was promulgated, out of which a Bill was introduced in this House. At that time, Sardar Tohra pointed out a certain qualification for the person who would be the member of the Managing Committee. That qualification was to be that he should

be a non-smoker, should not take alcohol and should not trim the beard. At that time that Government thought it fit not to accept that qualification for a member to be elected for the Managing Committee. Why was it so desired? It was so obvious to any one because the persons who were otherwise very respectable persons might not have been spiritual, might not have been a Sikh, might have been *keshdharis* but might not have been *Amritdharis*, or might not have been absolutely teetotaler.

Again, in the year 1971, when another Bill was brought in, at that time Shri L. K. Advani pointed out that this very clause which is sought to be deleted today should not be there. He gave his reasoning—the same type of reasoning that when you have given the power to the people to elect, leave it to their judgment and don't have any restriction. At that time too, the Government did not listen to it. And today, Gianiji has come forward with the plea that it is being brought in line with the Punjab Gurdwaras Act, on the lines of the recommendations of the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. I say it is good. But what was it at that time? The Government did not listen twice to this thing because in 1971 and afterwards, in the qualifications for members, the suggestion made by Jathedar Tohrajji has been incorporated and what Mr. Advani said at that time is being accepted today. So, shall we think in these terms that the Government only reacts belatedly, takes time to understand or there is something else behind it? That is the main thing.

Much has been said about the jurisdiction of the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. May I remind the persons conversant with the history of the reform movement of the gurdwaras—the Akali movement—that the main objective of the Gurdwara Prabandhak Committee—one of the articles—was to utilise

the property and income of the gurudwaras for the purpose for which they were founded, that is, to practise Sikh religion according to the teachings of the Sikh Gurus as preserved in the *Adi Granth*? These two things are given to be practised even today because the country even today needs spiritual education. They have succeeded as far as liberation of the Gurudwaras from the *mahants* was concerned.

I am also reminded—and it is true of any Government—of what Sir Malcolm Haley, who was responsible for breaking the Akali movement and not giving it the due place or glory to it—the Akali movement is a glorious chapter in our national history of fight against the British Empire. This is what he is said to have stated: “Why delay the Gurudwara Bill? Why let the Government get the blame? Give it to them and also their Gurudwaras. They will then quarrel among themselves and the Government will be free to do something else”. That same policy seems to be going on even today. “Let them quarrel.”

It is the job of the Government to see that the Sikh community is united rather than divided into two, three or four groups. Gyaniji, I have respect for you. You have been the Secretary of the Siromani Akali Dal, you have been the Jathedar of Siromani Akali Dal. I expect you, Gyaniji, in the name of the community, to see that the community does not break, that the community becomes united and it serves the Sikhs in the same spirit of “Seva” as laid down by the *Granth Saheb*, by the revered last Guru of ours. Can you rise above it? This is what I say. You have said. “I have brought it in line with the Punjab Act.” But there too, did you ever think? What about the Sahajdhari Sikhs? Are the Sikhs of Delhi alone to decide, in their narrow, parochial way—if I may use the term—that others should be kept away? As far

as I am concerned, I agree with you, that if I were to join it I will become an Amritdhari but I don't want to. It is not for me. But, anybody who professes to be a Sikh, anybody who believes in the ten Gurus, can be a Sahajdhari. Could you not enlarge the scope of this Bill? Were they not Sikhs? Did they not perform “Seva”? Then why do this? Why bring about a piecemeal thing? At one time you did not think, I mean the Government, in terms of a proper qualification which they never laid down as in the Punjab Gurudwaras

Act. Later on, they introduced a clause which was not there, which you call as undemocratic and which you want to do away with. I have got no quarrel over that. I leave it to the good sense of the Sikhs; I leave it to their judgment; I do not want their judgment to be closed by any fetters of the law. But again I will say that a few Sikhs are not the only ones. For goodness sake, try to unite the Sikh community, do not bring in the Congress Sikhs, the Akalis Sikhs, this group Sikhs and the other group Sikhs. We expect from you something higher than that for the Sikh community. Therefore, I appeal to you not to go into these bickerings. When people come to you, you ask them, in the name of the Gurus in the name of Sikhism, to be united. Then only can you serve the community as a whole.

With these words, I will conclude by saying: please, bring a comprehensive Bill which will do good to the Sikh community rather than bring an ordinance for a particular purpose.

SHRI SAT PAUL MITTAL (Punjab): You are sermonising... (Interruptions)

DR. M.M.S. SIDDHU: Please repeat it. Please repeat what you are saying.

AN. HON. MEMBER: He says you are sermonising.

DR. M.M.S. SIDDHU: Yes, I am sermonising because I belong to that community. I am sermonising because there is a failure on the part of the persons whom...

SHRI SAT PAUL MITTAL: You better sit down.

DR. M.M.S. SIDDHU: You sit down.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Nothing will go on record.

(Shri Sat Paul Mittal continued to speak.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Nothing is going on record.

(Shri Sat Paul Mittal continued to speak.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Nothing is going on record. Mr. Mittal, please sit down. Dr. Siddhu, you also please sit down. I do not know the reason of this excitement. I have not permitted anything to go on record which went in between. I do not know what this excitement is about. Kindly conclude as early as possible, Dr. Siddhu.

DR. M.M.S. SIDDHU: When I was appealing to a person who had had a glorious past, Gianiji, reminding him of his contribution to Shiro-mani Akali Dal requesting him to do something which will unite the Sikh community, why should some people feel otherwise? I did not participate in the Sikh movement; I did not do so and I have no right to say

on that. But, at the same time, can I not appeal to one? Did I do anything wrong? I do not know. What crime did I commit, Mr. Mittal, which, you feel, irritated you? Can't I...

SHRI SAT PAUL MITTAL: I did not feel irritated at all. I was only pointing out to you that you were sermonising and not speaking.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I do not know why you are interrupting him. Let him conclude his speech.

DR. M.M.S. SIDDHU: I will say just one or two sentences. Please bring forward a comprehensive Bill. Only attempting to bring in one person and only to have election anew does not do any good to the Gurdwaras or their managements.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET (Punjab): (In Punjabi).

श्री नरसिंह प्रसाद चन्द (उड़ीसा): मुरजीत जी, आप हिन्दी में बोलिए ताकि हमारी समझ में भी आ जाए।

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Anyway, I shall speak in Hindi, so that others also follow. मैं यह दावा नहीं करता कि मैं यहाँ पर इस बिल के सिलसिले में सिखों की तर्जुमानी कर सकता हूँ और न मैं करने का इरादा रखता हूँ। मुझे इस बिल के दो पहलुओं से बहुत पतराज है। पहली यह बात है कि सरकार ने जो कांस्टीट्यूशन में, संविधान में आर्डिनेंस की पावर दी है उसका लगातार इतना भिन्न-भिन्न किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के शुरू होने से पहले उसी वक्त आर्डिनेंस कर के जो सरकार चाहती है, कर लेती है और इस बात की बिनाह पर कि पार्लियामेंट में उसको बहुमत हासिल है परन्तु कार्यवाही लेगे वह पार्लियामेंट की तर्जुमानी, संस्था को बहुत कम करके देखने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस गुरुद्वारा बिल के सिलसिले में तो कांस्टीट्यूशनल पावर का ऐसा भिन्न-भिन्न किया गया है कि जिसकी भिन्न-भिन्न पार्लियामेंट

हिस्ट्री में नहीं मिलती है। कैसे यह बिल आया? 27 तारीख को दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव होने वाला था। पिछले महीने की 27 तारीख को चुनाव होने वाला था और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिसे सदर बनाना चाहती थी उस में वह क्वालिफिकेशन नहीं थी जो कांग्रेस सरकार के बनाए हुए, बिल में थी जो 1971 का बिल था, वरिष्ठ जी कह रहे थे क्योंकि उन्होंने ही पेश किया था उसमें यह कह दिया गया था कि शायद ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा अक्लमंद होता है। जो ज्यादा पढ़ता है, डिग्री हासिल कर लेता है, इसलिए उसमें यह क्लोज दाखिल कर दिया गया कि मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी ही आफिस वियर बन सकते हैं। अब यह 1971 से लेकर 1981 तक चलता रहा। 1976 में उनको खत आया। कुछ कठिनाइया आई होंगी, उनकी सरकार थी कि इसमें संशोधन कर दिया जाए और उसमें यह क्लोज काट दी जाए फिर उन्होंने कुछ नहीं किया और इसके बाद में 1981 में यह बिल लेकर आए हैं। यह किस गर्ज के लिए ल कर आए हैं, क्योंकि चुनाव होने वाला था, आम चुनाव नहीं सदर का चुनाव होने वाला है यह किसी पार्टिकुलर आदमी को चाहते थे कि उसका चुनाव हो और उस पर कब्जा करना चाहते थे। मेरी बात यह है कि डेमोक्रेटिक एंगल से मिसयूज आफ कांस्टीट्यूशनल पावर्स और दूसरी बात यह है interference into the affairs of the minority community. धार्मिक मामलों में अगर इस तरह से दखल देगे तो उसका बहुत बुरा हश हो सकता है। देश की हालत पहले ही बहुत बुरी है। आखिर इनको क्या चिन्ता पड़ गई थी दिल्ली गुरुद्वारा के लिए चार दिन और इंतजार कर लेते। चुनाव

हो जाता, सदर कोई भी हो जाता उसके बाद में इमको ठीक कर लेते। उसके लिए बिल पेश कर देते। लेकिन इन्होंने 27 तारीख को चुनाव पर असर डालने के लिए पेश किया। हमने कहा कि हम चाहते हैं इस पर पहले वहस हो लेकिन नहीं मुना। इनका ख्याल था कि चुनाव में जीतने के बाद इस बात को सामने ले कर आएंगे और हम जाहिर कर देंगे कि अब तो चुनाव हो गया है, अब तो मजोरिटी हमारी है। जो भी जोर-बोर कर लेंगे कर लें। हुआ यह कि इसके बावजूद भी यह सिखों की धार्मिक संस्था में दखल देने के पहलू से उस पर कब्जा करने के पहलू से यह कानून लेकर आए कि अपने आदमी को सदर बना ले और कमेटी हुई, मीटिंग हुई। बहुत जोर लगा। दुख की बात है कि इतने बड़े मसाइल होम मिनिस्टर के सामने हैं। देश में कहीं कुछ हो रहा है, आसाम में कुछ हो रहा है, गुजरात में कुछ हो रहा है। इतने बड़े मसाइल हल करने वाले हैं लेकिन समय निकाल कर इन्होंने पूरी कोशिश की कि जो नुमाइंदे लोगों ने चुने हैं, अरे साधारण आदमी को तो करप्ट करते हैं वह अलग बात है, लेकिन जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन पर भी पूरा दबाव डाल कर यह कोशिश की जाए। उनके आदमी उनके समर्थक जो हैं उसके नाम को भी सब जानते हैं और उसे यह बना दें। तार सिंह दल के नाम पर जिसने अपना दल बनाया हुआ है उसको बना दें। फिर भी क्या हुआ? अब कितना गुस्सा माइनार्टी में आ सकता है, इसको यह अनुभव नहीं करते हैं। सवाल उस क्लोज का नहीं है। उसका जहां तक ताल्लुक है वह उन्होंने खुद पढ़ कर सुनाया है कि जब 1971 में पेश किया था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के जो आज सदर हैं उन्होंने यह कहा कि ऐसी क्लोज नहीं होनी चाहिए। सवाल

(श्री हरिकिशन सिंह सुरजीत)

क्लाज का नहीं, सवाल यह है कि सरकार कास्टीट्यूशनल पावर्स को किस ढंग से मिस्यूज करती है और कराती भी है? किस बात के लिए? किसी अपने आदमी को कब्जा करने के लिए गुरुद्वारे पर और माइनारटीज के इंस्टीट्यूशंस पर दखल देने के लिए, सरकार की तरफ से। और उसमें क्या हुआ 27 तारीख को चुनाव की मीटिंग बुलाई गई। पूरी कोशिश कर ली मंत्री जी ने। क्या-क्या इन्होंने नहीं किया और क्या-क्या दबाव नहीं डाले। सब करने के बाद लोग वहां गए। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई; क्योंकि कई दफा कोशिश हो चुकी गुरुद्वारे पर कब्जा करने की उसमें कामयाब नहीं हुए; क्योंकि उनकी वह जगह नहीं है वहां कामयाब हो नहीं सकते। एक दफा वाइस चैयरमैन साहब हमने भी हाथ फूके इन के साथ, मगर बाद में हमें अपने लोगों ने कहा कि तुम्हारा काम नहीं, तुम गुरुद्वारे जाते नहीं, उसे मानते नहीं तुम इस धंधे में क्यों जाते हो? यह 1960 की बात है बहुत मुद्देत पोछे की बात है लेकिन हमने खुले तौर पर पंजाब के लोगों से माफी मांगी कि आइदा के लिए कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, हमारा काम धार्मिक नहीं है हम और काम करते हैं, राजनैतिक उस में दखल देंगे, इस में दखल नहीं देंगे। आपनली कहा; ऐसा नहीं कि बात कुछ करते हैं करते कुछ हैं। हमने लोगों से माफी मांगी आइन्दा कभी यह काम नहीं करेंगे गुरुद्वारे में दखल का। उस के बाद 1960 से कोई बात देकभी दखल दिया है हमने। उस दिन की मिसाल सामने है जब चुनाव हुए, अकाली सब जीत गए, उन्होंने एक ही बात कह दी कि गुरुद्वारे के लिए भी उनकी हुकमनामा दिल्ली से लेना पड़ेगा।

नारे तो अकालियों के पास बहुत से हैं तो उनके दखल देने के बाद जब अकाली मेजोरिटी लेकर गए तो उन्होंने पूछा क्या बात हुई? मैंने कहा तुम्हारे भ्रम हमारी सांगल लेकर चली गई, हमारे पास जो एक सांगल था वह भी तुम्हारी भ्रम ले गई। अब बात यह है कि 27 को चुनाव हुआ, पूरी कोशिश सरकार ने कर ली, जैसी अशीतरी सरकारें बना करती है कर ली; करने के बाद यह हुआ कि उन के 24 रह गए और 26 अकालियों की हिमायत में चले गए... (दृष्टिगान)

श्री हरिसिंह नलवा पॉइन्ट आफ आर्डर।

श्री हरि किशन सिंह सुरजीत पॉइन्ट आफ आर्डर हो तो बहिए घंटा बज पॉइन्ट आफ आर्डर कहते रहिए।

I am prepared to listen to him.

उपसभाध्यक्ष (श्रीदिनेश गोस्वामी पॉइन्ट आफ आर्डर से हमारी मजदूरी आ जाती है।

श्री हरि सिंह नलवा : हमारा पॉइन्ट आफ आर्डर यह है कि आन्दोलन में गुरु हाउस को मिसलीड कर रहे हैं।

श्री अबदुल रहमान शेख : (उत्तर प्रदेश) किस हल के तहत आप कर रहे हैं?

SOME HON. MEMBERS: It is not a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): How can I determine whether it is a point of order or not before I listen to it? What is your point of order?

श्री हरि सिंह नलवा : अभी आन्दोलन में, ने फर्माया कि हमने वहां पर खुली तौर पर एलान किया कि हम सिख रिलिजन और मजहब के मामले में कोई

इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, लेकिन मैं उन से पूछता चाहता हूँ ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): This is not a point of order.

श्री हरि सिंह नलवा : आप इंटरफियर करते हैं और करते रहे हैं

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please sit down, there is no point of order.

SHRI HARI SINGH NALWA: He is misleading the House. अत्यंत बोल रहे हैं हाऊस से

श्री हरकिशन सिंह सुरजीत : जैल सिंह जो ज्यादा जानते हैं; वह ज्यादा देंगे

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You have got a competent Minister. He will reply.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: I do not believe in interruptions. तो हुआ यह कि फिर भी बहुत नहीं हुआ अब नहीं हुआ तो क्या किया उन्होंने मीटिंग एडजान कर दी, क्योंकि 24 इनके रह गए, 26 उधर रह गए, चुनाव में बात साफ हो गई तो उन्होंने कहा कि हम मीटिंग एडजान कर देते हैं। अरे इलक्शन कमिश्नर के अफसर चुनाव कराने वाले सभी अफसर थे। यह सारा कुछ कर दिया, गड़बड़ तो होती है। 26 ने अपना चुनाव कर लिया आप इसको मानते नहीं हैं। अब सन्नेदपोश पुलिस वाले बिना दिये हैं गुरुद्वारे के सामने अब कब्जे की बात कहते हैं— 26 इन के साथ हैं, 24 आप के साथ—कब्जे की बात किस की ? है कब्जा उनका ? तो आप क्यों दखल देना चाहते हैं कहीं अपनी मजारिटी को एसर्ट न कर पाएँ ... (व्यवधान) ... आप को मालूम ही नहीं है गुरुद्वारा कमेटी क्या होती है। मुझे आप से ज्यादा मालूम है।

अकालियों ने एनाउन्स कर दिया कि हमारा प्रेसिडेंट बन गया। पर कांग्रेस वालों ने कहा कि चुनाव मुलतवी हो गया। यह धार्मिक मामलों में सीधा दखल है। (व्यवधान) हम तो दूर हैं, हम तो गुरुद्वारे के प्रबन्ध से दूर हैं; आप को भी कहते हैं कि आप दूर रहे। यह आज की बात नहीं है। यह बात दरअसल पहले से शुरू है। 1970 में यह कोशिश की गयी दिल्ली के गुरुद्वारे पर कब्जा करने की। कांग्रेस वालों ने अपनी कमेटी बना ली ... (समय की घंटी) Sir, I am taking up a democratic issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Everybody is taking up that issue.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: I am not taking it up from the angle of defending somebody.

श्री रामानन्द यादव : मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I am not permitting any clarifications. Everybody is taking up a democratic issue.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: If it is irrelevant you can stop me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I am not saying that you are making any irrelevant points. But the point is that there is the limitation of time. Normally every Member is given ten minutes. You have already taken 12 minutes. You can take another five or six minutes.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Sir, I do not normally take the time to intervene. But this matter is very important. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): How many more minutes do you want? Let me get some idea.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET I think in another ten minutes. I will finish.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): No, no. You take another six or seven minutes.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh): You should allow him, Sir, because it is a very important issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): All right. You please continue.

श्री रामानन्द यादव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये अपनी पार्टी की विचार-धारा के अनुसार गुरुद्वारों के ऊपर बोल रहे हैं या एज ए सिख बोल रहे हैं ?

श्री हरकिशन सिंह सुरजीत : मैं पहले कह दिया है कि एज ए सिख नहीं बोल रहा हूँ, चार दफे कहलवा लो । मैं बोल रहा हूँ इस बात के लिए कि डेमोक्रेसी को देश में डिफेंड करना है और धार्मिक मामलों में दखल नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए बोल रहा हूँ ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Just a minute. I request the Minister for Parliamentary Affairs to restrain his agile Members from asking clarifications. Otherwise, more time will be taken. Mr Surjit, kindly finish within seven minutes.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: All right, Sir. I will finish within that time.

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) :
ऐसे तो यह डिबेट कल तक चलेगी ।
Please help the Chair.

श्री हरकिशन सिंह सुरजीत : वह आज की बात नहीं, पहले भी '70 में ऐसी बात की गयी और हाई कोर्ट में केस गया । उस के बाद क्या किया सरकार ने ? सरकार ने एक बोर्ड एपोइंट किया जिस में पांच मेम्बर थे और पांचों कांग्रेस के थे । आप कह सकते हैं कि अकाली ही सिख नहीं होते हैं, दूसरे भी हैं । लेकिन क्या कांग्रेस ही सिख हैं, वही नुभाइन्दगी कर सकते हैं दिल्ली के सिखों की ? इस की क्या दलील है आपके पास एक भी उन को गैर कांग्रेसी नहीं मिला जिस को वह उस बोर्ड में डाल देते । सिख ओपीनियन की तरजुमानी करने वाले क्या कांग्रेस के ही समर्थक हैं ? इस ढंग से उन्होंने इस को कंट्रोल किया । फिर एजीटेशन हुआ । एजीटेशन के बाद यह सवाल पैदा हुआ । आप गोखले की तकरीर देखें, जिन्होंने कानून पेश किया था । उन्होंने कहा था कि इस पर एजीटेशन हुआ, एजीटेशन के बाद यह कानून आया । उस वक्त इन्होंने क्या समझा ? उस वक्त उन्होंने ओहदेदार के चुनाव के लिए हायर सेक्रेटरी पास होने की शर्त पर इनसिस्ट किया । टोहड़ा साहब ने मुखालिफत की उस क्लोज की । अब भी मैं क्लोज की बात नहीं करता । जहां तक बिल में इस अमेंडमेंट का ताल्लुक है, मौजूदा क्लोज किस सिलसिले में और कब ला रहे हैं—वह बात होती तो एक भी आदमी नहीं होता जो विरोध करता । उस के बाद चुनाव हुए फिर यह बात नहीं रही । इस में दिक्कत क्या है ? असल में बात क्या है ? सिखों के अन्दर कुछ ट्रेडीशन्स हैं जो दूसरी जगह पर नहीं हैं । क्या ट्रेडीशन्स हैं ? वह ट्रेडीशन्स सिखों ने कायम की हैं । बहुत से भाइयों को मालूम नहीं है । मुझे मालूम है । मैं दावा कर सकता हूँ कि जो इधर बैठे हैं उन के मुकाबले इस के तमाम इवाल्यूशन की जानकारी

मुझे ज्यादा है। कैसे हुआ? उस वक्त जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था वह धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल कर रहा था अपने मकासिद के लिये और वह पयूडल किस्म के एलीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा था। उस को ले कर ही सिखों में एक बगावत का जज्बा पैदा हुआ और एक तहरीक उठी कि इस को मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इस बात को ले कर हजारों लोग जेलों में गये और वह तहरीक नेशनल मूवमेंट का एक पार्ट एंड पार्सल बन गयी। और लोगों के मन में आय कि गुरुद्वारों की आजादी छोटी आजादी है और हिन्दुस्तान की आजादी एक बड़ी आजादी है और यह एक तारीख बन गयी। अगर मैं कहूं कि पंजाब में जो नेशनल मूवमेंट पेजेंटरी तक पहुंचा वह इस अकाली मूवमेंट की वजह से ही पहुंचा तो गलत नहीं होगा। नेशनल मूवमेंट में इस का बहुत ज्यादा कांट्रीव्यूशन रहा। लोगों ने लाठियां खायीं, गोलिएं खायीं और एक नहीं लाखों की तादाद में और वहां सारे अत्याचारों का मुकाबला किया। रजवाड़ों के खिलाफ और राजाओं के खिलाफ जो उस वक्त अंग्रेजों के पिटू थे और उन जमींदारों के खिलाफ उन्होंने मुकाबला किया और उस में काफी बड़े आंदोलन के बाद कामयाबी हासिल की और उस के बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा और गुरुद्वारा एकट हौद में आया, जिस को शिरोमणि प्रबंधक कमेटी कहते हैं उसकी क्या हैसियत है, उस की इम्पोर्टेंस है या नहीं इस को वह अच्छी तरह से जानते हैं। उस के जरिये लोगों को उन का डेमोक्रेटिक कंट्रोल चाहिए था और उस के लिये बड़ा भारी आंदोलन करना पड़ा था और उस की वजह से ही उस में कामयाबी हुई और उस के बाद यह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी। और उस के बाद मैं कहना चाहता हूं कि

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वह हैसियत नहीं है आज कि जो किसी साधारण कमेटी की होती है। मैं चाहूंगा कि ज्ञानी जी उस के बारे में कुछ बतलायें कि उस की क्या हैसियत है, उस के पीछे क्या ट्रेडीशन्स हैं और वह क्या है। दूसरी बातें थे मैं जो मतभेद है उस की बात अलग है। तो उस सिलसिले में वह इंटरफियरेंस करते हैं। मैं कहता हूं कि बहुत बार इंटरफियरेंस हुआ है और वह इस लिये कि उस के पास साधन हैं। वे चाहते हैं कि इन साधनों को भी इस्तेमाल दिया जाय अपने लिये। अगर हमें आप का मुकाबला करना है तो हम किसी के साधन अपने लिये काम में नहीं लाने जायेंगे। हम सामने आ कर आप का मुकाबला करेंगे। हम प्लेटफार्म पर जाते हैं और वहां अपनी बात कहते हैं। हम किसी धार्मिक संस्था पर कब्जा करने की बात नहीं करेंगे। उस में सिखों के अपने ट्रेडीशन्स हैं। तो उन को अगर आप अपने लिये इस्तेमाल करेंगे और चाहेंगे कि इस आदमी को प्रेसीडेंट बना दिया जाय या इस खास आदमी को वहां बिठा दिया जाय तो माइनारिटीज का भरोसा टूट जायगा और उस की वजह से उन में तब्दीली आयेगी और भारत में जो आप एकता कायम करना चाहते हैं उस पर आंच आयेगी और आप को नुकसान पहुंचेगा। इसलिये मेरा कहना है कि इन को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि सिख माइनारिटीज को और दूसरी माइनारिटी कम्युनिटीज को चूंकि हम आप के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। अगर यह ऐसी बातें कहेंगे, जैसी कि ज्ञानी जी ने बताने की कोशिश की है तो उस वक्त भी उन को कहा गया था और उन को उस वक्त भी कहना चाहिए था इसलिये कि उन को सिखों के जज्बात का पता है। अगर किसी ने कहा जो

[श्री हरकिशन सिंह सुरजोत]

हो कि ऐसा कर दो तो उन को बताना चाहिए कि इस मामले में हम ने तो देख लिया, लेकिन अगर धर्म के नाम पर कांग्रेस चाहे कि सिखों में घुस जाय और उन को अपने कब्जे में कर ले तो वह भी यह नहीं कर सकती। कांग्रेस का दूसरा काम है और धर्म का दूसरा काम है। अगर मैं चाहूँ कि धार्मिक मामलों में दखल दे कर कुछ हासिल कर लूँ तो मैं नहीं कर सकता इसलिये कि मेरा दायरा दूसरा है। मैं मजदूरों में और किसानों में काम करता हूँ। इस लिये मेरा कहना है कि आप को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हम ने आर्डिनेंस के जरिये इस ताकत को इस्तेमाल करने का जो ख्याल किया है वह हिन्दुस्तान के संविधान को मिस्रयूज किया है और इस तरह से यह माइनाश्टीज के शइट्स में बहुत बड़ा ईंटर्फियरेस है। हम आइन्दा के लिये ऐसी बात नहीं करेंगे। जहाँ तक इस तरमीम का ताल्लुक है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत पहले ही गलत था। उस समय आप ने दखल किया विरोध के बावजूद भी दखल दिया, उस के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। सवाल ढंग का है और यह ढंग आप को मंहगा पड़ेगा, अच्छा नहीं होगा, यही कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन, यह सिख धर्म में और उनके धार्मिक इंतजामात में सरकार का दखल जिस वक्त हो रहा है और जिस रीति से हो रहा है, शासक सरकार यह समझती है कि उस धर्म के लोग इसे समझेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है।

मैं जानी जी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब से यह सिख धर्म आया तबसे इसका जो इतिहास है वह इस पूरे देश के लिए एक गर्व का इतिहास

है और मैं कह सकता हूँ कि सिखों के इतिहास पर, उनके कारनामे पर पूरा देश गर्व करता है। संयोग से वह हमारी सख्द पर बसे हुए हैं। उनके अन्दर फूट डाल कर आप उनके मजहब के लोगों को कमजोर करेंगे ही, बल्कि इस देश को भी कमजोर करेंगे। सिखों को कमजोर करने का मतलब होगा इस मुल्क को कमजोर करना। श्रीमन्, यह इनका कदम बिल्कुल राजनीतिक दांवपेंच है। दिल्ली में चुनाव होने वाला है। सौभाग्य से दिल्ली के ऊपर सिख जाति बड़ा प्रभाव रखती है। पूरे शहर पर और दिल्ली के सभी सामाजिक अंगों पर सिख लोगों का काफी प्रभाव है। ये समझते हैं कि इस समय इनका हाल दिल्ली में क्या है और इसलिए हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि कांरपोरेशन के चुनाव कराने का। उसकी तैयारी में, दिल्ली के अगले चुनाव की तैयारी में ये चाहते हैं कि दिल्ली गुरुद्वारे के ऊपर कब्जा किया जाए। अपने आदमियों को बैठाये और उस गुरुद्वारे की धार्मिक शाखाओं का इस्तेमाल करके अपने दल के हित में लाभ उठाये। उस धार्मिक स्थान का इस्तेमाल करे अपने दल के हित में और आने वाले चुनावों में।

श्रीमन्, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब से यह सिख धर्म कायम हुआ, तब से जिस-जिस सरकार ने चाहे कोई सरकार रही हो, जिस किसी ने दखल दिया, इनके धार्मिक मामलों में दखल दिया, वह खत्म हो गये। और अब शासक यह आपकी भी शुरुआत न हो जाए। आपकी भी यहीं से शुरुआत न हो जाए, इसका अपने दिमाग में रखिये।

श्रीमन्, पहले इन्होंने एक कानून बनाया, सन 1971 में इन्होंने एक कानून बनाया, यही सरकार थी, यही माननीया प्रधान मंत्री जी थी और उस समय यह

सही समझा कि सदर के लिए एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और खास तौर से 'ज्ञानी' लपज रखा गया वहां और आ ज चुनाव के मौके पर आपने महसूस किया कि क्वालिफिकेशन हटा देनी चाहिए। आपकी नियत इसी से जाहिर होती है। अगर चुनाव करा कर आप यह तथ्यमीम लायें होते तो आपकी नियत पर कोई शक नहीं करता। मगर आपकी नीयत इससे जाहिर होती है। जैसा हमारे साथी ने बताया कि जब 1971 में यह कानून बना उस समय टोहड़ा साहब का अमेंडमेंट था कि इसमें यह क्वालिफिकेशन न रखी जाए मगर सरकार ने बहुत सोच-विचार करके उस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया। क्वालिफिकेशन लेबाउन की। हिसाब-किताब के ख्याल से नहीं लेकिन उसकी धार्मिक पवित्रता और उसका धार्मिक स्वरूप बनाए रखने के लिये लाजिमी है कि जो व्यक्ति वहां बैठे वह मूल ग्रंथ साहब को समझे, उसको पढ़ सके और अन्य लोगों को भी समझा सके कि सिक्ख धर्म क्या है। जो बिल्कुल तालीम नहीं रखता होगा, जो बिल्कुल पढ़ा-लिखा नहीं होगा, जैसा आपने अभी कहा कि वह खुद नहीं समझता तो दूसरों को क्या समझाएगा सिक्ख धर्म के बारे में इसलिये रखी गई मिनिमम क्वालिफिकेशन....

श्री रामानन्द यादव : प्रबन्धकों का काम प्रीच करना नहीं है।

श्रीमती राजेन्द्र कौर : आपने डिसाइड करना है या हमें करना है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : प्रबन्धक प्रीचर को अपाएंट करता है। यह आपकी बुद्धि के बाहर की बात है। जैसा हमारे साथी ने कहा... (व्यवधान)

श्री रामानन्द यादव : मैंने सूद खाकर बुद्धि हासिल नहीं की। मैंने पैसे देकर बुद्धि हासिल की है। (व्यवधान)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं सीकर लेकर भाग सकती हूँ। (व्यवधान) आप जरा सुनिए। प्रबन्धक प्रीचर को सेलेक्ट करता है और उसके बाद एपाएंट करता है। वह यह देखता है कि कौन सिक्ख धर्म को प्रीच कर सकता है, कौन गुरुद्वारे की सेटीटी, उसकी मर्यादा को मेन्टेन कर सकता है। इसलिये यह लाजिमी है। श्रीमन्, बड़े दुख की बात यह है कि यह सरकार वही तरीका अख्तियार कर रही है जो अंग्रेजों ने अख्तियार किया था यानी सिक्खों में भी डिवाइड एंड रूल। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि एक सिक्ख के हाथ से यह सारा काम हो रहा है। किसी दूसरे के हाथ से यह काम कराते तो मुझे तकलीफ न होती। एक सिक्ख के हाथ से सिक्खों में बंटवारा करने का काम, उनमें भेदभाव पैदा करने का काम सरकार करा रही है जिस के लिये हमारी श्रीमती इन्दिरा गांधी बहुत मशहूर और माहिर हैं। मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूँ। (व्यवधान) देखिये और उदाहरण। जिस समय अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी लाना पड़ा उस समय नुरुल हसन को मिनिस्टर बनाया गया। उनको इस का हथियार बनाया गया। नुरुल हसन साहब की उसके बाद अलीगढ़ युनिवर्सिटी में क्या दुर्गति हुई यह सारा देश जानता है। वह वहां के सम्मानित प्रोफेसर थे... (व्यवधान)

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : ठीक है मिसाल दे रहे हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उनकी क्या हालत हुई आप जानते हैं। ज्ञानी जी सिक्खों में बंटवारा करके आप अपनी वह हैसियत मत बनाइये जो नुरुल

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

हसन साहब की थी। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। (व्यवधान) इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22-1-81 को चुनाव होने वाला था उसको टाल दिया गया। क्यों टाल दिया गया? जब से कानून बना तब से छः बार चुनाव हुए पदाधिकारियों के चुनाव हुए उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इस बार 22 जनवरी को चुनाव होने वाले थे और अगर उस एक्ट के मुताबिक चुनाव हो जाते तो मैं माननीय जैल सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि कौन-सा आसमान गिर जाता। पुराने एक्ट के मुताबिक चुनाव हो जाने के बाद आप तर्फीम ले आते। मगर आपने उनको टलवा दिया और चुनाव टलवाने के बाद आप आर्डिनेंस ले आए। उस वक्त पार्लियामेंट का सेशन होने वाला था डेट एनाउन्स हो चुकी थी। आप हाउस में बिल ले आते और अमेंडमेंट करते। मगर आप जानते थे कि बिल लाना तो बहुत मुश्किल होगा और जो आप चाहते थे कि अपने आदमी को वहाँ पर बैठा दिया जाय वह आप नहीं बैठा पाते। इसलिए आन दी ईव आफ पार्लियामेंट सेशन आप आर्डिनेंस ले आए और आर्डिनेंस के आने के बाद आपने आदमी को वहाँ बैठाने की कोशिश की... (व्यवधान)। उस कोशिश में सरकार ने गन्दे तरीके अख्तियार किये... (व्यवधान)।

श्री सतपाल मिशाल : आपके मुँह से "गन्दा" लफ्ज सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ... (व्यवधान)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : दिल्ली के लोग जानते हैं कि गन्दे लोग ही गन्दे तरीके अख्तियार करते हैं। मुझे पता है कि श्री बूटा सिंह जी ने पूरी

सरकारी मशीनरी इस काम के लिए इस्तेमाल की।

संसदीय कार्य विभाग से राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि इस शब्द को निकाल दिया जाये।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं कभी कोई गलत बात नहीं कहता हूँ और अगर कोई गलत शब्द निकल जाता है तो मैं हमेशा वापस लेने के लिए तैयार रहता हूँ। मित्तल जी कुछ कह रहे थे।

श्री सतपाल मिशाल : मैंने यह कहा है कि "गन्दा" शब्द आपके मुँह से सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरह के लफ्ज आपके मुँह से निकलते नहीं हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता हूँ। मैं यह कह रहा था कि कानून में तर्फीम करने के बाद भी आपने देखा कि आप अपने आदमी को नहीं बैठा पाएंगे तो आपने सारे तरीके अख्तियार किये और जितने औहदे हो सकते थे उनका लालच दिया। जितने लालच हो सकते थे वे सारे लालच आपने मेम्बरों को दिये। जो वोटर्स थे उनसे आपने कहा कि आपको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मेम्बर बना देंगे, आपने कहा कि रेलवे नेशनल एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर बना देंगे और आपने कुछ लोगों को डी०डी०ए० के माध्यम से फ्लैट भी अलाट कर दिये। रेलवे के माध्यम से चार सौ फ्री पैसेज इसू कर दिये। आपने उन लोगों से यह वायदे भी किये कि सेल्स टैक्स की जो एडवाइजरी कमेटी है उसका आपको सदस्य बना देंगे। इसके साथ ही जितने भी वायदे हो सकते हैं, जितने भी लालच हो सकते हैं और जो भी तरीके दिल्ली में अपनाये जाते हैं वह आपने अपनाये। मैं उनको कहना नहीं चाहता हूँ। दिल्ली में शुद्ध और अशुद्ध, दोनों तरीके अख्तियार होते हैं। शायद सभी तरीके अख्तियार कर आपने इन मेम्बरों को तोड़ने की कोशिश की।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) :
अब आप सनातन कीजिये ।

श्री नानकदेव प्रसाद शाही : सारे तरीके अखिर कर ले के बाद भी आपके मन के मुताबिक बात नहीं हुई । 26 मेम्बर एक तरफ हुए और 24 दूसरी तरफ हुए । आप अपनी हकूमत वहाँ पर कायम नहीं कर सके । जब आपकी तरफ कम मेम्बर हुए तो आपने हंगामा करवाया और फिर माननीय जैल रिह जी ने वहाँ पर पुलिस बैठा दी । अखिर इन चीजों की कोई हद होती है । मजहब के मानकों में दखल देना ठीक नहीं होगा है । उसकी एक सीमा होती है । आपने जबरन भी इस प्रकार से दखल दिया है, आपके हाथ जले हैं, सरकार के हाथ जले हैं । अपने मुगलशासक में दखल दिया और अंगरेजों में दखल दिया तो आपके हाथ में जले हैं । इनके बाजूद भी सरकार अपनी हस्तियों से और अपनी बातों से बाज नहीं आती है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह कर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि केवल हिन्दुस्तान के सिख ही नहीं, दुनिया भर में जो लाखों सिख फैले हुए हैं और बहुत से मुल्कों में वे काफी हावी भी हैं, वे इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपकी निगाह जो गुरुद्वारे की रकम पर है, गुरुद्वारे की रकम का इस्तेमाल आप अपनी पार्टी के लिये, अपने पोलिटिकल एंड्स के लिये अगर करेंगे तो शासक बहादुर सिख कौन आपके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे । मुझ यकीन है कि सारी कोशिशों के बावजूद जब भी आप चुनाव करावेंगे तो फिर भी आप हारेंगे, गुरुद्वारे के मामले में, और आपकी हार का डिक्लेस जो 24 और 26 का है, वह वापस हो जायेगा । इसलिये अच्छा यह है कि आप आज ही इस बिल को वापस लें, ताकि जैल रिह जी, अपनी हिकायत में और अपनी पार्टी की हिकायत में । धन्यवाद ।

SHRI KHUSHWANT SINGH (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I think there are several real issues behind the package of this Bill and

from the debate that I have heard, there seem to be several misconceptions. With your permission, Sir, first I would like to inform this Hon'ble House as to what exactly a Gurudwara was intended to be and what it has become with the advancement of the Sikh community and their institutions and the degree of sensitivity that all Sikhs feel about even a suspicion of interference in their affairs.

The first Gurudwara was perhaps raised 500 years ago by the Founder of the Sikh religion at Kartar Pur. It was never intended to be solely a place of worship or a shrine. It was more like a community centre where the congregation, the followers of Guru Nanak, the *Shishya*—from which the word "Sikh" is known—congregated to sing hymns composed by him and by Hindu and Muslim Sufi saints. It was, in addition to that, a rest house for travellers, a school for children and above all a free canteen where *Guru ka Langar* was served. It was during the tenure of the other Gurus when the community increased that a large number of Gurudwaras came into existence. But this principle continued; the community centre angle was always maintained. It was when the Sikhs began to be persecuted and they had to fight against Mughal tyranny that they decided—and upto now the Sikhs were of two distinct forms—the Udasi Mahants and the militant Khalsa of Guru Gobind Singh—that in order to preserve these institutions from destruction, the control of the Gurudwaras should be passed into the hands of Udasi Mahants who could pose as Hindus as well as Sikhs. And while the Sikhs were fighting, these people kept control of the Gurudwaras. When the Sikhs came into power, it was then that these Gurudwaras became large institutions. Jagirs were attached to them for the maintenance of these institutions and facilities like the schools, rest houses and canteens. It is worth

Bill, 1981

[Shri Khushwant Singh]

noting that the Delhi Gurudwaras were the gift of one of these Sardars—Sardar Bagail Singh—who took over these properties and passed them to the Sikh community.

The Sikhs prospered. So did the Gurdwaras. Even when the British annexed this territory, these were powerful institutions. The canal colonies gave the Sikhs enormous wealth; so also to their Gurdwaras. The Mahants who were put incharge purely as caretakers had vested interest in them. Properties started passing from father to son. They were misused and the Sikhs felt that they were no longer in control of their shrines and that is the genesis of the Akali Movement. It is worth recording, Sir, that the Akali Movement began exactly a stone's throw from this House at Gurudwara Rakabganj. When the wall of the Gurudwara was broken, a large passive resistance movement was started as that this would not be tolerated by the Sikh community.

The Akali Movement lasted from 1919 to 1925—six long years. One of the greatest achievements of the passive resistance movement in this country was that over 30,000 people were jailed in various places, including Pt. Jawaharlal Nehru, at Guru Ka Bag, at Jaitu, Taran Taran and all over Northern India. Over twenty thousand people were aimed by police lathi-charges and over 400 people were shot or hanged in this movement. The Sikhs are very proud that their association with the Akali movement is one of the most glorious chapters in the history of the Sikhs and even today, when the Sikhs finish their prayers, the names of those people who fell in the Akali movement are sung as those of martyrs. Ultimately, the Sikh Gurdwara Act of 1925 was passed, passing on the management of the historic shrines to a democratically elected body, the Sikh Gurdwara Prabhndak Committee. This became

in some way, a mini-parliament of the Sikhs and it is the most important institution of the Sikhs. The President of the SGPC today enjoys in the Sikh community, if I may say so, greater prestige than the Chief Minister of Punjab or a Minister in the Central Cabinet and for good reasons: Enormous funds, patronage, in terms of money running into crores of rupees, hundreds of schools, orphanages and colleges and so on. They not only appoint Prabandhis and Sewadars, but also college principals, professors, etc., all of them in the hands of the SGPC and, at the same time, the temptation is there in the hands of the Government to somehow take control of this vast institution which really governs the entire Sikh community.

Now, I come to the Delhi Gurdwaras. The largest concentration of Sikhs in the world is in Delhi and not in Punjab. I am afraid the lady Members speaking before me, and the Minister himself, got the figures wrong, that the Sikhs constitute not more than 1 per cent of the population in this country whereas it is 1.8 per cent or nearly 2 per cent. The Sikh Gurdwaras, the ten historic one and the others, have an income, between them, of over three crores of rupees. These Gurdwaras also manage schools, colleges and orphanages in this city, and they are under their management. There have been many cases of mismanagement and there have been cases of embezzlement. But at no time has it ever been denied the main principle that the community must have some voice in the management of its institutions, that good management is no Substitute for self management, and this is the real principle involved in this case.

Now, the issue is not whether the 1971 amendment, introducing an educational qualification, was right or wrong. The issue is not one, whether the present amendment to abolish or abrogate that is right or wrong. I think it can be argued

both ways. But the issue simply is this: Is the Government quite clear that they are not interfering in the affairs of the Sikh community? I will appeal to the Home Minister himself and he will concede. He has made a valid point when he said that it is assumed that when the Akalis interfere in the matters of the Gurdwaras, that is no interference, but when a Congressman interferes in the affairs of the Gurdwaras, it is assumed to be some kind of an interference. That, I am afraid, is not so. There is a historical reason. The Akalis have always involved themselves solely in the affairs of the Gurdwaras. But the Congress Party and the other political parties, as Mr. Surjeet mentioned, have involved themselves in other things. No Sikh would dare to tell Mr. Zail Singh "You have no right to interfere in the Gurdwara affairs", because he is an honoured and learned Sikh. But every Sikh has a right to say, "You, Mr. Zail Singh, as the Chief Minister of Punjab, have no right to interfere in the affairs of the community nor you as the Home Minister of the Central Government should come in any way anywhere close to what may sound like suspicion." Mr. Home Minister—I am addressing him through you, Sir—the position of the Government, when it deals with religious institutions, is like that of Caesar's wife. Your action must be above suspicion. You have to ask yourself—and I challenge you to put your hand on your heart and say—is it really true that you feel that the 1971 Bill went against the cardinal principles of democracy or is there some other reason why you had to bring this particular Ordinance and then have it passed into an Act? Can you really say to yourself that the entire Sikh community was consulted when you brought in this present change? These are the two things that I would like you to answer. Not only has the conduct of the Government been not above suspicion, but you have been caught in absolute, flagrant delict in inter-

fering in the affairs of the community.

Mr. Home Minister, Sir, let me tell you that this is not only bad business, this is a bad precedent and, what is worse, it is bad politics.

You have badly advised the Prime Minister because this will cost you a lot of sympathy in the Sikh community. Although I am a nominated Member and I have no political affiliations, I appeal to you to withdraw this Bill.

Thank you.

SHRIMATI AMARJIT KAUR (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, The Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill of 1981, as introduced by the hon. Home Minister, is a measure which rectifies the 1971 misunderstanding and misinterpretation of the basic norms and life-style which exists within the Sikh community. Academic qualifications have at no time played a role in the execution or proper administration of Sikh Gurdwaras. In fact, it has always been the human aspect of reverent and unquestionable faith and total dedication, of service and sacrifice towards the concepts of life as laid down by Guru Nanak Devji that has played the role in judging the criteria required for the selection or election of a Sikh for the purposes of leading and administering of Sikh organisations—be it political or social. The 1925 Act interpreted this life-style as a fact and thus never bound itself to general qualification, for, the founders of the Sikh Gurudwaras Act of 1925 realised that academic qualification cannot be a substitute for the human factors of faith, service and sacrifice within the institution of Sikhism.

Sir, we are lucky to have amongst us an hon. Member of the House who is an elected President of the parent body of the SGPC of Punjab. I am sure he will agree with me when I say that a P.H.D. in Mathematics or a D.Sc. in Physics is no criterion for

[Shrimati Amarjit Kaur]

running the affairs of gurudwaras. If, on the other hand, he disagrees for the sake of opposing this Bill, then he would, in all probability, disqualify himself for any elective body within the organisation and would be morally bound to resign his office. After all, the DGPC is a grandchild of the parent body—the SGPC. I do not deny that if academic qualifications are mixed with the human factors I have mentioned before, it would be all the better but the fact remains that academic qualifications alone cannot be an overriding factor for the purposes of selective and elective bodies within religious institutions. Sir, the accusations made against the hon. Minister by the Members of the Opposition and imputing ulterior motives to the Government in introducing this Delhi Sikh Gurudwaras (Amendment) Bill of 1981, are totally unjust and uncalled for. One must understand and interpret the Sikh religious norms in commonsense terms before one can come even close to commenting on this sensitive issue.

Is it not a fact that elections of President and the other office-bearers were to be held on 28-11-79? The President, Sardar Jaswant Singh Sethi, then nominated by Shiromani Akal Dal (Master Tara Singh) and Jathedar Rachhpal Singh were kidnapped with the help of the Central Lok Dal Government and the State Janata Government earlier, one day prior to the election day. In view of this situation, the election was postponed by the Delhi High Court. Later, it was fixed for 12-12-79. Sir, was it not interfering in the Sikh religious activities? Was it not a shameful act?

Sir, the Sikhs of Delhi strongly feel that the proposed amendment would be in their best interest and to express this feeling the President of the Delhi Gurdwara Committee, Sardar Jaswant Singh Sethi, submitted a memorandum to the hon. Prime

Minister to remove the disqualification contained in sub-section (3) of section 16 by means of an ordinance. It is therefore, on their request that this Amendment has been introduced.

I support the Amendment keeping the Delhi Gurdwaras' interests in view.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Tohra. How long will you take?

सरदार गुरचरण सिंह दोहड़ा : एक घंटा ।
मैं सिर्फ़ मेम्बर नहीं हूँ, मैं 40 लाख सिखों के
वोटों से चुना हुआ प्रेसिडेंट हूँ ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I cannot give you one hour. Half an hour I can give you.

सरदार गुरचरण सिंह दोहड़ा : हाफ़ एन
अवर बहुत बोले हैं । वन अवर ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I think the request is rather . . .

सरदार गुरचरण सिंह दोहड़ा : अच्छा
बो नो तो दीजिये । वाइस चैयरमैन साहब . . .

श्री सीताराम केसरी : वाइस चैयरमैन
साहब, यह तय हो चुका है कि एल० आई० सी०
और गुच्छारा बिल के लिए एक दिन का समय
रहेगा । आधा दिन खत्म हो गया एल० आई०
सी० में । दो घंटा का समय बीत चुका है ।

सरदार गुरचरण सिंह दोहड़ा : मुझे से तय
किया था ? बात हमारी है, हम से तय करें ।

श्री सीताराम केसरी : मैं यह नहीं कहता
कि बोलने का मौका न दिया जाय, लेकिन
समय तय कर दिया जाय ।

सरदार गुरचरण सिंह दोहड़ा : आपने
पहले ही टोकाटाकी शुरू कर दी ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We will conclude this Bill today. There is no doubt about that. I will request Mr. Tohra, keeping that in mind, to limit his speech as much as possible. (Interruptions) If you all are agreeable to sit up to 8 P.M., I have no objection.

श्री नरसिंह प्रसाद नन्द (उड़ीसा) : चलने दीजिये ।

श्री सीताराम केसरी : मेरा यह निवेदन है ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : आप निवेदन में समय लगा रहे हैं ।

[श्री सभापति पीठासीन हुए]

श्री सीताराम केसरी : डिप्टी चेयरमैन साहब, बिजनेस एडवाइजरी कमटी में फैसला हुआ था कि एल० आई० सी० और गुरुद्वारा बिल के लिए एक दिन रहेगा । आप ने एल० आई० सी० में हम लोगों को समय दिया दो घंटे लग गया । इसपर भी दो घंटे लग चुका है । मैं यह नहीं कहता कि इन को समय न दिया जाये । आधा घंटा इन की पार्टी ले चुकी है, एक घंटा 15 मिनट हमारी पार्टी ने लिया है, दो घंटे हो चुके हैं । इसलिए मैं कहता हूँ कि समय निश्चित कर दीजिए ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, इस के ऊपर समय निश्चित करना गलत बात होगी ।

श्री उपसभापति : हर चीज पर समय निश्चित होता है ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : यह हमारी अहम अक्लिफत का मामला पेश है इस हाउस में । आज हमें मौका मिला है अपनी बात कहने का और आप समय की पाबन्दी लगा रहे हैं । हम कैसे मानेंगे । (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : इस तरह तो रात हो जायेंगे ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : बेशक रात हो जाये, समय की पाबन्दी कोई नहीं मानेगा ।

श्री उपसभापति : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बोल सकते हैं जितना चाहे...

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : पाबन्दी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा ।

श्री उपसभापति : एक बात समझ लें ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : आप मेरी रिज्रेंटेटिव हैसियत समझ लें । मैं खाली राज्य सभा का मेंबर नहीं हूँ 6 P.M. मैं 40 लाख सिखों के वोटों से चुना हुआ प्रेसीडेंट हूँ गुरुद्वारा के मामलात का और इस लिए गुरुद्वारों के मामलात में हमें बोलने का पूरा अधिकार है और हम को पूरा टाइम मिलना चाहिए और अगर आप हम को नहीं बोलने देते तो मैं चला जाता हूँ ।

श्री उपसभापति : आप की हैसियत का ज्ञान हम सब को है, सदन को है और इस में आप को कोई शक नहीं होना चाहिए और अगर कहीं है तो उस को आप दूर कर लीजिये । लेकिन मेरा निवेदन है कि इस सदन में जो भी कार्यवाही होती है, जो भी माननीय सदस्य बोलते हैं वह समय के पाबन्द होते हैं । इस लिए ऐसा नहीं है कि किसी को अनलिमिटेड टाइम दिया जाये जा सके । असीमित समय हो तो हम पूरे दिन, पूरे साल भी भी आप को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मैं यह निवेदन करूँगा कि जो आवश्यक बात आप को कहनी हो वह आप

[श्री उपसभापति]

कह लीजिये लेकिन समय का ध्यान रखेंगे ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : इसी बिल पर लोग आधे-आधे घंटे भी बोले हैं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : आप एक घंटा बोलिये ।

श्री उपसभापति : आप क्यों परेशान हो रहे हैं । वे एक घंटा बोलें, दो घंटा बोलें, मना कौन करता है । आप प्लीज बैठिये ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : डिपुटी चेयरमैन साहब, डाक्टर बीबी राजेन्द्र कौर जी ने इस के खिलाफ जो मोशन दिया है उस का मैं समर्थन करता हूँ और जो माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा अमेडमेन्ट बिल पेश किया है उसका पुरजोर विरोध करता हूँ ।

इस बात की चर्चा बार बार हुई है कि यह जो अमेडमेन्ट था, गलत था, गैर-वैधानिक था, डिस्कमिनेटरी था, यह था वह था । उस के ऊपर तो मैं ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं क्योंकि मैंने तो जिस वक्त यह क्लोज लाया गया था इस बिल में आज से दस साल पहले, उस वक्त भी कहा था कि वह पाबन्दी गलत है । जो ऐक्ट में पाबन्दी है कि पंजाबी के पढ़ने लिखने का उसे पूरा ज्ञान हो वह ही रहनी चाहिए और यह पाबन्दी किसी पर नहीं है, प्रेसिडेंट पर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पर नहीं है, तो यहां क्यों हो, लेकिन उस के बाद भी सरकार ने नहीं माना । अब सरकार को दस साल के बाद यह अकल आयी कि यह पाबन्दी खत्म कर देनी चाहिए । पाबन्दी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन जो भावना पीछे काम कर रही है उस के खिलाफ हूँ कि वह सरकार 33 साल की बात करती है । बहिन राजेन्द्र

कौर जी ने कहा और मैं कहता हूँ कि पूरे 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हमें और शिकायतें तो बहुत सी हैं, लेकिन उन का जिक्र मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन हमारे धार्मिक मामलात में जो शिकायतें हैं वह लगातार जारी रही हैं । यह नहीं कि अभी पैदा हुई हैं, इस के पहले भी पैदा होती रही हैं । स्वर्गीय तारा सिंह स्वर्गीय प० जवाहर लाल नेहरू से मिल कर भी यह सवाल उठाते रहे हैं और उस के बाद फतेह सिंह भी यह सवाल उठाते रहे हैं और आज हम भी यह सवाल इस सदन में उठा रहे हैं और बाहर भी उठा रहे हैं कि जो सरकार धर्म निरपेक्षता की दावेदार है, जो कहती है कि हम सेकुलर विधान के कस्टोडियन हैं वह सरकार हमारे धार्मिक मामलात में क्यों दखल देती है । इस भावना का विरोध है और इस भावना के विरोध में पहले मास्टर तारा सिंह जी ने दिल्ली में 1958 में बहुत बड़ा जूलूस निकाला, प्रोटस्ट किया और फिर उस के बाद 1959 में निकला जूलूस और उस के बाद फिर संत फतेह सिंह को यहां मोर्चा लगाना पड़ा । जब दिल्ली गुरुद्वारा मनेज-मेन्ट पर होम मिनिस्ट्री ने अपने 5 आदमियों को नोमिनेट किया । यह कहते हुए ज्ञानी जी ने कहा था कि धार्मिक व्यक्ति होने चाहिए, वह किसी पोलिटिकल पार्टी या किसी असेम्बली या पार्लियामेंट के मेम्बर नहीं होने चाहिए । लेकिन उस के चेयरमैन थे सरदार जोगेन्द्र सिंह, जो पार्लियामेंट के मेम्बर थे और बहुत देर से चले आ रहे थे । दूसरे मेम्बर थे सरदार बहादुर रणधीर सिंह, वह भी कांग्रेस के दस साल तक पार्लियामेंट के मेम्बर रहे । तीसरे मेम्बर थे सरदार मोहन सिंह, वह कांग्रेस की तरफ से नई दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी के वाइस चेयरमैन नोमिनेट थे । चौथे मेम्बर थे सरदार प्रीतम सिंह वह ए०आई०सी०सी० के मेम्बर थे । पांचवे मेम्बर

थे रिटायर्ड सेशन जज टिक्का जगजीत सिंह । उस वक्त इन को ख्याल नहीं आया । वह बात पुरानी हो गयी, उसका मैं ज्यादा जिक्र करना नहीं चाहता । मिके यह कहना चाहता हूँ कि धर्म के मामले में हमारी भावनाये बहुत नाजुक है । मेरे भाई जानी जी तो इस हिस्ट्री को जानते हैं, बाकी कम जानते हैं कि हमारी जो लडाई हुई है वह जब से हमारी सर्जना हुई तब से यह लडाई धर्म के मामले में हुई है । अगर किसी ने हरमंदिर साहब का बेरहमती, करने की कोशिश की तो उस कोशिश को, उस बेरहमती करने वाले का सिर काट कर हम बीकानेर, राजस्थान में ले गये । उस के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी हरमन्दिर के ऊपर हमला किया, उस के पीते ने भी हमला करने की कोशिश की तो दीपसिंह की शहादत हुई बहुत सी घटनायें इतिहास की है जिन से जाहिर है कि हम गुरुद्वारा मूवमेंट जो शुरू हुआ उस की भी एक बहुत बड़ी बैकग्राउन्ड है ।

गुरुद्वारों में महन्तों का प्रबन्ध था और महन्त प्रबन्ध चला रहे थे । जब गद्दी बाबा कामागाटामारू से यहाँ आये वज्रवज्र घाट के ऊपर उनके ऊपर गोली चलाई गई तो सिक्खों में एक गुस्सा पैदा हुआ और उसे शान्त करने के लिए गुरुद्वारों का जैसे ये नाजायज इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पिछुओं को देकर, ऐसे नाजायज इस्तेमाल हुआ और गद्दीबाबा के खिलाफ फतुवा दिया गया कि ये सिक्ख नहीं थे, सिक्खों को इनके साथ हमदर्दी नहीं करनी चाहिए । लोगों ने जलियाँवाला बाग में जमने वाली चलाई थी जनरल डायर उसको सिरपा दिया कि आपने बहुत अच्छा किया । तीसरी बात यह थी कि कुछ मामलों में हमारे धर्म में छुआछात की बात नहीं है । गुरु ने सब को एक बनाया है । गुरुवाद, नस्लवाद, लोकावाद, भाषावाद, देशवाद सब खत्म किया । तो हमारे

महन्तों का यह कायदा था कि जो पिछड़ी श्रणियों के लोग थे, अछूत थे । उनको शरीक नहीं किया जाता था, उनका परशाद परवा नहीं किया जाता था । इन चार पांच बातों को लेकर गुरुद्वारा मूवमेंट हुआ । उसमें कितनी कुरबानी दी गई, 16 लाख उस समय अंग्रेजों को जुर्माना दिया गया और एक साल से लेकर 8 साल तक के 46 हजार लोगों ने जेलें काटीं और इसके लिए करीब चार सौ, साढ़े चार सौ की शहादतें हुई और गुरुद्वारा वजूद में आया । कुछ भाइयों ने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा एकट यह है । यही तो हमारी शिकायत है । हम आल इंडिया गुरुद्वारा एकट मानते हैं । ये जगह जगह कमेटी बनाकर अपने असर को बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार अलग अलग कानून बनाना चाहती है । सरकार की नियत क्या है, वह मैं हाउस के सामने लाना चाहता हूँ ।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी जो है, उसके चुनाव में तकरीबन एक करोड़ सिक्ख शामिल होते हैं । 40 लाख उसके वोट बढ़े हैं । पिछले दफा 40 लाख वोट बढ़े और 15 आदमी बाहर से नामिनेट किये जाते हैं, उसका आल इंडिया करेक्टर बनाया गया था । बंटवारे से पहले उसका करेक्टर आल इंडिया था और आज ये कहते हैं कि शिरोमणि कमेटी दिल्ली की कमेटी है और हमारे मामलों में दखल दे रही है । शिरोमणि कमेटी ही शुरू में गुरुद्वारा मूवमेंट के लिए लड़ी थी, जानी जी को याद होगा । दिल्ली में गुरुद्वारा मूवमेंट चला । अंग्रेजों ने जो गुरुद्वारा रकावगंज है जो सामने ही है उसकी दीवार गिराई तो दीवार गिरने के विरोध में शिरोमणि अकाली दल की ज्येवंदी ने यहां मोर्चा लड़ा । मैं इनको यह भी बता देना चाहता हूँ कि 1971 से पहले यानी 1920 से लेकर 71 तक 50 साल शिरोमणि प्रबन्धक कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव कराती रही । यहां आकर

[सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा]

बकायदा तारीख अनाउन्स की जाती थी, वोटें बनती थीं और वोटों के बाद आठ मेम्बर चुने जाते थे और सात नोमिनेट किये जाते थे। उस कमेटी को डिस्टर्ब किया गया। कैसे हुआ मैं इस डिटेल् में नहीं जाना चाहता। उसके बाद यह आर्डिनन्स आया और यह दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट आया। इसके मनवाने के लिये 16-17 हजार अकाली बालियंटर जेल में गये थे, ऐसे नहीं बना था। 1971 में यह बना लेकिन सरकार की नीयत से इस बात का पता चलता है कि 71 में एक्ट बनाया गया और 74 तक यहां कोई चुनाव नहीं हुआ। चुनाव तब हुआ जब दूसरे मोर्चे का बिगुल बजाया गया। सरकार हमारे धार्मिक मामलों में लगातार दखलअंदाजी कर रही है। मैं पिछले साल 24-9-80 को प्राइम मिनिस्टर से मिला था। उनसे सीधी-सीधी कुछ बातें की थी। उन से कहा था कि मैं आपके पास वे मांगें लेकर आया हूं जो मांगें आज की नहीं, बल्कि जो मांगें मास्टर तारा सिंह जी भी करते रहे, संत फतह सिंह जी भी करते रहे और हम भी कर रहे हैं। ये मांगें ऐसी हैं जिसके लिये सिक्खों की आम राय है। किसी खास की न हो और बात है। दूसरी बात है कि ये जो मांगें हैं इनको पूरा करने से किसी दूसरे भाई, किसी दूसरे धर्म के लोगों दूसरे सम्प्रदाय के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हमारी मांगें थी कि निरोल जो हमारे धार्मिक मामलों से संबंधित थी, उसमें आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट था, उसमें हर मन्दिर कीर्तन सुनाने की बात थी। महाराजा रणजीत सिंह की याद को लेकर टिकट निकालने की बात थी, यहां की फौज में भी एक घटना घटी। वह बात भी मैं उनके नोटिस में लाया। जब फौज मूव करती है तो गुरुद्वार और मन्दिर एक ट्रक

में सबसे आगे चलते हैं। एक जगह सागर से फौज मूव करने लगी और गुरुद्वार और मन्दिर एक ट्रक में थे और उस ट्रक में उन्होंने एक केन्टीन का सामान रख दिया। केन्टीन में सिगरेट भी होती हैं, बीड़ी भी होती है, शराब भी होती है। सब कुछ होता है। जहां फौज ने अपना पड़ाव डालना है वहां के लिये मीट वगेरह भी होता है। हमारे एक भाई थे महेन्द्र सिंह। उन्होंने एतराज किया। कर्नल ने कहा कि इसी में जाएंगे। वह कहने लगे कि मैं इसके आगे लेट जाऊंगा, इसको आगे नहीं जाने दूंगा। कर्नल ने उसको जाने दिया। लेकिन उसके बाद उसको डिसमिस किया गया और डिसमिस करने के बाद यहां आर्मीहेडक्वार्टर से सरकुलर निकाल दिया गया कि कोई हर्ज की बात नहीं। जिस ट्रक में गुरुद्वारा और मन्दिर जाएं उसमें केन्टीन का सामान भी जा सकता है। हम कौन-कौनसी बात कहें। हमारे साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है? मैं आज राजनैतिक और आर्थिक मामलों की बात नहीं करना चाहता क्योंकि सिर्फ एकही मामला है जो हमारे सामने है वह है गुरुद्वारों का मामला। उसमें कहा जाता है—कि क्या हम सिक्ख नहीं हैं। हम इंकार नहीं करते हैं कि आप सिक्ख नहीं हैं। हम कब कहते हैं कि आप सिक्ख नहीं हैं। लेकिन हम यह कहते हैं कि सिक्खों के मामलों में सरकार के रूप में दखल मत दीजिये। यह सिक्ख मिनिस्ट्री ही दखल नहीं देती है, गैर सिक्ख भी दखल देते हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे ये भाई नाराज हो जाएंगे। मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि प्रधान मंत्री जी ने मेंबरों को बुला कर कहा, शानी जैल सिंह जी ने कहा और सरदार बूटा सिंह ने मेम्बरों को अपने घर में रखा। श्री भीष्म नारायण सिंह...

(व्यवधान)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): I challenge the statement of the hon. Member, if he can prove it.

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : वह तो जब पूरा करने की बात आएगी तब होगा।

प्रव करने से क्या होगा ? (व्यवधान) ।

यह मुझे जिम्मेदार लोगों ने बताया है ।

SHRI BUTA SINGH: Sir, it is very sad that the head of such a high body should make false statements in the House (Interruptions).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When the Member has already denied it, so accept it and proceed further. That is the parliamentary way.

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : मुझे जो बताया गया है उसको मैं ठीक मानता हूँ । मैंने कोई गलत बात नहीं कही है । यहां पर बारबार कहा गया है कि सिखों के नुमायन्दे सिर्फ अकाली नहीं हैं । आप जब चाहें, जहां भी चाहें, गुस्ठारों के जहां वोट पड़ते हैं वहां पर सिर्फ सिखों के वोट पड़ते हैं । दूसरी वोटों में सब लोगों का हक है । लेकिन जब सिखों की वोट पड़ती है तो ये लोग क्यों पिट जाते हैं । अगर सिखों के नुमायन्दे हैं तो इनको भी जीतना चाहिए था । इन्होंने सन् 1955 में बहुत कोशिश की । बंटवारे के बाद लगभग 9 साल तक चुनाव नहीं कराये । उसके बाद फिर दूसरी बार चुनाव हुए तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि अकाल दल के मुकाबले में शिरोमणि खालसा दल बनाया जाय और इन्होंने शिरोमणि खालसा दल बनाया और वह चुनाव लड़ा । इनको सिर्फ तीन सीटें प्राप्त हुईं । जब सन् 1960 का चुनाव हुआ तो जहां सिखों की वोट पड़ती है वहां ये लोग पिट गये । मैं चलेज करता हूँ, आप जहां भी चाहें देख सकते हैं, सिखों की जहां वोट पड़ती है वहां पर हम जीते हैं । इसलिए सिखों के नुमायन्दे हम नहीं होंगे तो फिर कौन हो सकता है ? हम सब लोगों के नुमायन्दे हो सकते हैं । हम सब ऐसेम्बली के चुनाव लड़ते हैं तो सब लोगों के नुमायन्दे होते हैं । जब सन् 1960 में चुनाव हुए तो तीन महारथियों ने अपने-अपने दल कायम किये । ज्ञानी करतार सिंह कांग्रेस में थे, उन्होंने पंथ सेवा दल बनाया । दूसरे सरदार ज्ञान सिंह रोड़ेवाला ने, जो कांग्रेस में थे और मिनिस्टर थे, उन्होंने शिरो-

मणि मालवा अकाली दल बनाया और तीसरे थे . . . (व्यवधान) । इन बातों का इनको पता नहीं है ।

श्री उपसभापति : उस तरह से तो यह बहस लम्बी चली जाएगी ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : तीसरे थे सरदार प्रताप सिंह कैरो, उन्होंने अपना शिरोमणि खालसा दल बनाया । उन्होंने इन तीनों दलों का एकीकरण किया और उसको सात संगत की बोर्ड का नाम दिया । उसमें कामरेड सुरजीत सिंह भी शामिल हुए । कम्युनिस्टों को भी उसमें शामिल किया गया । बाद में लड़ाई हुई और इन लोगों को 140 सीटों में से चार सीट मिली । उसके बाद लोग पूछने लगे कि सात संगत की बोर्ड का क्या हुआ ? उन दिनों पंजाब में एक मखौल चल पड़ा कि सात गये संतों के, संगत गई संगत में और बोर्ड चला गया राम दयाल की चवारों में । ये सब बातें ये लोग अजमा कर देख चुके हैं । हमने महाराजा रणजीत सिंह की डाक टिकट जारी करने के लिए कहा तो हम से कह दिया गया कि यह टिकट एक दफा जारी हो चुकी है, दूसरी दफा जारी नहीं हो सकती है । ऐसा हम लोगों से ये कहते हैं । मैं पूछता हूँ कि दुबारा डाक टिकट जारी क्यों नहीं हो सकती है ? पाकिस्तान में हमारे गुस्ठारे हैं । हम उनको खुशी से छोड़कर नहीं आए हैं । देश की आजादी के लिए हमारी बरवादी हुई है । हमने अपनी जायदाद छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, हमने ननकाना साहब भी छोड़ा । ननकाना साहब हमारे लिए बेटिकन सिटी से कम नहीं है, मक्का शरीफ से कम नहीं है और चारों मठों से कम नहीं है । वहां 172 गुस्ठारे हैं लेकिन उन 172 गुस्ठारों की उन्होंने कभी बात नहीं की और यहां दिल्ली के गुस्ठारों की फिर पड़ी हुई है, उनके लिये अमेंडमेंट ला रहे हैं, जल्दी से जल्दी पास करवा रहे हैं । सेशन चल रहा था परन्तु सेशन में अमेंडमेंट नहीं आया, बिल नहीं लाये, लेकिन सेशन खत्म होने के बाद यह लाते हैं तो इसमें जो यह भावना है, जो बदनीयती सरकार

[सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा]

की है, उसका हमें दुख है, इस अमेंडमेंट का कोई दुख नहीं है। ये कहते हैं कि शिरोमणि कमेटी से पूछने की क्या जरूरत है। क्या ये एक ही दर्जा समझते हैं मेघालय की असेम्बली का और पार्लियामेंट का? क्या यह दोनों का एक ही दर्जा मानते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धकों कमेटी पूरे खालसा नुमाइन्दों की जत्थेबंदी है और हमें यह आश्वासन दिया गया, एक दफे नहीं, बीसियों दफे दिया गया था। 1929 में राबी के कंडे पर दिया गया था, उसके बाद वर्धा में दिया गया था। 1946 में ...

श्री हरबन्द सिंह हंसवाल : आपने उस समय इसका बायकाट किया था।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : बायकाट किया था। मैं बताना चाहता हूँ कि यह क्यों किया था बायकाट कांग्रेस सेशन का। पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी थे। नेहरू रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में हमको नजर-अदाज किया गया था। इसलिये बायकाट किया था। उस वक्त बाबा खड्गसिंह के घर पर आये थे, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित मोतीलाल नेहरू और तब दूसरे सेशन में जाकर शहूलियत की थी और हमें लिखित तौर पर भरोसा दिया गया था, रेजोल्यूशन हुआ था कि कोई आईन हिन्दुस्तान में तब तक नाफिज नहीं होगी जब तक उसमें सिखों की सहमति नहीं होगी। यह 1929 की बात है। मैं 1946 की बात कर रहा था। 1946 में पंडित जी ने, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में उसमें उन्होंने कहा था कि :

“आजादी के बाद उत्तर पश्चिम भाग में सिख कौम के लिये एक इलाका ऐसा रखना होगा जिसमें वो भी आजादी का रंग मान सकें और अपना भविष्य आप उलीक सकें।”

यह भविष्य उलीका जा रहा है हमारा? क्या सरकार का यही काम रह गया है, क्या मिनिस्टर का यही काम रह गया है कि हमारे गुरुद्वारों में जाकर दखल दें और हमारी जो गुरुद्वारा कमेटी है उनको चैलेंज करें और सिखों को दफाड़ करें। क्या यही काम उनका रह गया है? मुझे अफसोस आता है।

मैं बैंक की बात करना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि अगर सरकार एक्सपेंशन का काम करे। लेकिन इस बैंक को आपने डेवलप किया, पूरी कम्प्युनिटी ने इसको अपना बैंक समझा और सब सरदार इन्द्रजीत सिंह इस बैंक के चेयरमैन बने 1908 में तो तब इस बैंक ने काम करना शुरू किया था। 1908 से 1960 तक इस बैंक का 2 करोड़ शरमाया था और 13 उसकी ब्रांचें थीं।

श्री रामानन्द यादव : उस बैंक में दूसरे धर्म के लोगों का भी पैसा जमा होता है या केवल सिखों का ही इसमें पैसा है?

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : यह पता नहीं। बैंक वाले बताते नहीं कि किस का क्या जमा है। आपका होगा शायद... (व्यवधान) आपका होगा, आप सब का होगा, आप ऐसे ही बैंक में पैसा रखते हैं।

श्री उपसभापति : अब वह राष्ट्रीयकृत बैंक हो चुका है।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : राष्ट्रीयकरण की बात नहीं। मैं इस बात को आगे ले जाना चाहता हूँ।

उसके बाद जब उसका टेक-ओवर हुआ, वह नेशनलाइज्ड हुआ तो उसकी 534 ब्रांचें थीं और 550 करोड़ रुपये का उसका शरमाया था, 550 करोड़ की डिपोजिट थी। उसका नेशनलाइजेशन कर लिया। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहिब से कहा कि ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है,

जनता वहां अपना पैसा डिपाजिट करती है, लोगों को इससे बचत की आदत पड़ती है, वह आपने कर लिया है, ठीक है पर आप हमको एक और बैंक का लाइसेंस दे दें। तो इसकी कोई बात नहीं, हमारे जो पाकिस्तान में 172 गुरुद्वारे हैं उनकी कोई बात नहीं। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि मैंने पाकिस्तान के गुरुद्वारों का विजिट किया था और उस दौरान मैं वहां जनरल जिया उल-हक से भी मिला था। उनको मैंने कहा कि क्या आप इस चीज को मान सकते हैं कि मक्का शरीफ का प्रबन्ध गैर-मुस्लिम करे? वह कहने लगा बिलकुल नहीं मान सकता। फिर आप यह क्यों नहीं करते कि इन गुरुद्वारों का प्रबंध सिख करें, वह कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूं। उसने तीन बातें कहीं। यहां बहुत से सिख पाकिस्तान में हैं, आप ले जाइये ट्रेनिंग उनको पूरी तरह से दीजिए और ट्रेड कर के यहां भेज दीजिए। मैं हर गुरुद्वारे में सिख रखने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात मैंने कही कि हमारे 172 हिस्टोरिक गुरुद्वारे हैं। सिर्फ तीन जगह की हम यात्रा कर सकते हैं वह भी इजाजत मिले न मिले इस सरकार के रहमोकरम के ऊपर है। अगर चाहे तो नम्बर काट दें अगर चाहे तो नम्बर पूरा दे दें। उनकी मरजी के ऊपर है। तो मैंने कहा कि हमें सारे गुरुद्वारों में आने की इजाजत होनी चाहिए। उसने कहा कि मैं इस बात से मुत्तफिक हूं और जब एग््रीमेंट हुआ तो पांच जगह की यात्रा मिली। लेकिन आपके एग््रीमेंट में तीन जगह की मिली है। तीसरी बात मैंने कही कि यहां रश रहता है, बहुत लोग यात्रा पर आने वाले होते हैं इसलिए आप कम से कम तीन हजार का नम्बर हमें दीजिए ताकि हम आदमी जो आना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं वे आ सकें। उसने कहा कि यह ठीक है। चौथी बात मैंने कही कि यहां का जो मैनेजमेंट बना हुआ है उसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक बोर्ड की नुमाइंदे भेजने का हक देना चाहिए। इसके लिए उसूलन आमतौर पर उन्हीं माना और कहा कि

यह आपस में बात कर सकते हैं लेकिन यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी। आप अपनी गवर्नमेंट को लिखें। आपकी गवर्नमेंट यह मामला उठाये। मैंने चार बातें उठाई। उसे कोई एतराज नहीं है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से मिल कर भी कहा और उस दिन मिला और फिर लिख कर भी भेज दिया है। हर एक मिनिस्ट्री को भी भेजा लेकिन उसने कोई बात नहीं की। हमारी बात को कोई बात नहीं मानता है। सरकार हमारे मसले को मसला नहीं मानती है। एक तरफ हमारी प्रशंसा की बातें हैं और दूसरी तरफ हम को नड़पने की इजाजत भी नहीं दी जाती। ऐसी बातें चल रही हैं। दूसरा मैंने यात्रा की बात कही। हमारे साथ मखौल हो रहा है, अपमानजनक मखौल हो रहा है। तो तीन हजार के लिए उसने माना। तीन हजार हमारा ननकाना साहब गया और तीन हजार पंजा साहब गया लेकिन अब तीन हजार भेजने की बात आई। हमने सेलेक्शन कर लिया, अपने लोगों के पैसे जमा कर लिये, सब कुछ हो गया। होने के बाद दिल्ली से चिट्ठी गई कि सिर्फ 800 भेज सकते हैं। हमने फिर प्रोटेस्ट किया तो कहने लगे अच्छा 1064 भेज सकते हैं। हमने 1800 आदमियों का मेलेक्शन किया है और 1200 बाहर की स्टेट्स का जाएगा। हम लोग 800 से कैसे पीछा छुड़ाये हमारी यह तोहीन की बात है। हमने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा कि गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिन के ऊपर आप बतावें कि कितने यात्री हम भेज सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट का चिट्ठी आया कि आप पहले यह बतावें, यकीन कराइये कि जितने का नम्बर आपको मिलेगा उसको मंजूर कर लेंगे, तब नम्बर बतायेगे। इससे और अपमान की बात क्या हो सकती है? इस तरह से और भी बातें हैं, कोतवाली की बात है, छोटी छोटी बातें हैं। हमने कहा कि ... (समय की घंटी) घंटी मत बजाइये साहब।

श्री उपसभापति : बहुत हो गया है।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : अभी तो कुछ भी नहीं कहा।

श्री उपसभापति : आपको आधा घंटा हो गया है।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : अभी तो अधूरा है।

श्री उपसभापति : यह कथा तो बहुत लंबी है।

श्री सतपाल मित्तल : डिप्टी चेयरमैन साहब, यह बात सही है कि यह नुमाइदे हैं, प्रेजिडेंट हैं लेकिन पाबंदी हर एक पर है। यह बात नहीं है कि चेयर को कह दें कि आप घंटी मत बजाइये हमको बोलने दीजिए। आधा घंटा, पैंतीस मिनट हो गए हैं। क्या वही बात इनको बार बार कहने का हक है ... (व्यवधान) इनकी भी जिम्मेदारी है।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : जो बातें हो चुकी हैं वे मैंने नहीं कहीं हैं। (व्यवधान) यही हमारी तकलीफ है।

SHRI HARISINH BHAGUBAVA MAHIDA (Gujarat): Sir, it should be made clear as to how long we are going to sit.

श्री उपसभापति : बहुत बातें कह दी हैं आधा घंटा हो गया है। अब समय नहीं है। कोई और अवसर मिलेगा तो (व्यवधान)

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : अभी कुछ भी नहीं कहा है। ताकि इनको पता लग जाए कि हमारे साथ इन्साफ नहीं हो रहा है जो कि इनको पता नहीं है (व्यवधान)

श्री उपसभापति : जिसको नहीं पता है उस को लिख कर दे दें।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : हमने एक चिट्ठी और लिखी कि यह हमारा कृपाण

है कबकार वाला... (व्यवधान)... डिप्टी चेयरमैन साहब, सुनिए तो सही।

श्री उपसभापति : मैं सुन रहा हूँ, आध घंटा हो गया।

श्री लाडली मोहन निगम : आप बोलने दीजिए। इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।

श्री उपसभापति : आप पर पड़ता होगा। दिस कैब्रोट गो आन्। आपने कह दिया।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : मैं कहता हूँ कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा, मुझे अपनी बात तो कहने दोगे। लड़पने की भी इजाजत नहीं देते। क्या खूब है? बातें इतनी हैं कि घंटों में पूरी नहीं हो सकती। मैं कृपाण की बात कह रहा था। हमारे विधान में लिखा हुआ है कि सिख चाहेजितने कृपाण रख सकते हैं, लम्बाई की भी बात नहीं है। मैंने दर्जनों चिट्ठियाँ लिखी हैं यहाँ, मिनिस्टर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने लिख कर कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझा दिया बरतानिया में बसने वाले सिखों ने कि यह हमारी बहुत जरूरी चीज है, हमारे जो पांच कक्कार हैं उस में यह शामिल है इसलिए हम इसे उतार नहीं सकते, हवाई जहाज में भी न उतारा जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिखों की बात मान ली। वहाँ ब्रिटिश एयरवेज से कोई सिख चलाता है, कबकारी कृपाण रहती है, कोई सेक्योरिटी वाला चेक नहीं करता और जब वह पालम हवाई अड्डे पर उतरता है वहाँ से वैसे ही अपने घर जाता है लेकिन जब वह वापस फिर जाता है तो कहते हैं कृपाण उतार कर चलो। अब यह इन्साफ है क्या? ये हमारे विधान को भी नहीं मानते ता कि स बात को मानेंगे? विधान की जा गारण्टी है में थोड़ी-बहुत दी हुई है उसे भी देने के लिए तैयार नहीं हैं।

इसी तरह से मैंने एक सुझाव दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा कि एक रेल जा रही है जिसका नाम है फ्लाइंग मेल और बहुत से यात्री टूरिस्ट आते हैं, वे टूरिस्ट आकर

पूछते हैं कि अमृतसर को कौन सी रेल जाएगी ? मैंने कहा, उसके ऊपर लिख दो गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस। क्या हर्ज की बात है ? हम बुरा नहीं मानते अगर सरकार ने चला दी रेलें—पुरी एक्सप्रेस चला दी, बहुत अच्छी बात है, काशी एक्सप्रेस चला दी, वड़ी अच्छी बात है, गोमती चला दी अच्छी बात है, गीतांजल चला दी, बहुत अच्छी बात है। एक और ट्रेन चला दी "ताज एक्सप्रेस" जहाँ मोन देखने जाते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरी "अजन्ता एलोरा" चला दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस रेल के ऊपर हरमन्दर एक्सप्रेस नहीं लिखा जा सकता है। और हम कहते हैं जो भी कुछ...

श्री उपसभापति : बजट है उस पर बोलिए। रेलवे मंत्री जवाब देगे। उस पर बोले नहीं।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : जो बात हम लेकर आए—ज्ञानी जी को उसका अच्छी तरह से पता है, सरदार बूटा सिंह को भी पता है, उन का बैकग्राउण्ड अकाली दल का है, हमारे में से एक हैं। यह ट्रेनिंग सेंटर है, जिस अकाली दल को बुरा मान रहे हो। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जब अद्दाली के जूते में पांव मत पाइए, आप ओडाघर के जूते में पांव मत पाइये आपको सही सोचना चाहिए। अगर गुरुद्वारों में हिस्सा लेना है, जरूर लें, वतौर सिख के। वतौर मिनिस्टर के नहीं। लेकिन जैसा तमाशा यहाँ हुआ है, यह तमाशा करने की जरूरत में भी पोलिटिकल मोटिव है, वह यह है कि मेट्रोपोलिटन काउंसिल के, कारपोरेशन के जो इलेक्शन आने वाले हैं उस से पहले उस प्लेटफार्म पर कब्जा करना चाहते हैं इसलिए कब्जा किस तरह से हो सकता है पहले वह जिस आदमी के लिए सब कुछ किया जा रहा है वह आदमी...

श्री उपसभापति : वह बात हो गई।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : हो नहीं गया। हमारे साथ जो थे जब उनके साथी हो गए तो एक आदमी के लिए क्लॉज डिलीट हो रहा है। एक आदमी के लिए पूरी कौम से बगावत करने में क्या दानिगमंदी है ? क्या पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आ जाए ? और हमारे यहाँ जैसा लिखा है—विनाश काले विपरीत बुद्धि—अगर गुरु नानक ने फर्माया है—

"जाके आप खाए करता..."

जिस को करते ने खवार करना हो उस के ऊपर करता बम नहीं चलाता, मशीनगन नहीं चलाता, उस में से सिधाई का अंश निकाल लेता है। इन लोगों में से उस ने सिधाई का अंश निकाल लिया और यह बुराई के रास्ते पर पड़ गये हैं। अगर अब्दाली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, अगर नादिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, अगर अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो मत समझें कि आप भी कुछ बिगाड़ सकेंगे। कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हमारे गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारे उन के पास रहेंगे जो गुरुपन्थ की बात करेंगे और गुरुपन्थ की बात करने वाले हम हैं। मुझे अफसोस है कि ज्ञानी जी यह ला रहे हैं। और कोई लाता तो लाता, हमारे ही अपने आगे कर दिये लाने के लिए। यह कोई बात नहीं है, यह कुर्सी की बात है। इस कुर्सी पर जो बैठ गया उस कुर्सी की बफादारी करनी है। मुझे इस बात का कोई रंज भी नहीं है। मैं ठीक कहता हूँ। सरदार बूटा सिंह ने बुरा माना है, मैं उन से क्षमा मांगने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सवाल यह है सरदार बूटा सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, प्रधान मंत्री जी, भीष्म नारायण सिंह की मिनिस्ट्री, जगमोहन, पुलिस कमिश्नर कैसे-कैसे हरवे इस्तेमाल किये गये, कैसे हथकंडे इस्तेमाल किये गये। हम तो धर्म और राजनीति को एक मानने वाले हैं। हम धर्म और राजनीति को दो नहीं मानते। आप दो मानते है। हमारे पास अकाल तख्त और हरमन्दर का सिद्धांत है। उस सिद्धांत को कोई जुदा नहीं कर सकता। उस सिद्धांत को जुदा कराने के लिए बहुत से लोग आये समय-समय पर। हमें बादशाहत

[सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा]
ने भी कहा, हमें अंग्रेजी ने भी कहा, यह भी हमें 34 साल से कह रहे हैं, लेकिन यह होने वाला नहीं है। यह सिद्धांत की बात है। हमें हक है, आप को कोई हक नहीं है क्योंकि आप उस सिद्धांत को मानते नहीं हैं।

श्री उपसभापति : समाप्त करिये।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : अभी समाप्त कर रहा हूँ।

श्री उपसभापति : आपने जो कहना था कह दिया, सब कुछ कह दिया।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : डिपुटी चेयरमैन साहब, बातें जो हैं तमाम की तमाम वह कह तो लेने दो। इन को तो सुमति है नहीं, आ जाये तो अच्छी बात है। हम ने कहा कि अमृतसर को धार्मिक शहर करार दे दें। बहुत से धार्मिक शहर करार दिये हैं। हरिद्वार को किया है, कुरुक्षेत्र को किया है।

श्री रामानन्द यादव : धार्मिक शहर का महत्व है, क्या मतलब है ? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी आप देखेंगे, काइम भी आप देखेंगे ?

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : मुझे अफसोस है, यादव साहब इतना भी नहीं समझते। आप इतनी बात तो समझने की कोशिश करें। मैं धार्मिक शहर की बात कर रहा हूँ। वह जब बात होगी तो वह भी करेंगे। हमें डर की बात नहीं है। जब वक्त आएगा वह भी कह लेंगे। धार्मिक शहर का मतलब मेरा क्या है ? जैसे हरिद्वार में शराब-मीट नहीं हो सकता। हमारे धर्म में शराब-मीट वर्जित है, हमारे धर्म में सिगरेट भी वर्जित है। हम कहते हैं कि ये तीन चीजें अमृतसर में न हों, इसलिए धार्मिक शहर करार देना चाहते हैं।

श्री हरबंस सिंह हंस्पाल : मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसी बात कही।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : हमारी बात नहीं मानी जा रही। हमने बहुत कुछ आजादी के संग्राम में किया है। उसकी बात तो भुला ही दी गयी। उसकी चर्चा नहीं होती। फांसी के तख्ते पर चढ़े 121। उनमें से 93 हमारे में से थे। उम्र कैद हुई कुल 2646 को और उस में 2147 हमारे में से थे। जलियांवाला बाग में शहीद हुए 1300 और उन में 700 हमारे में से थे। इस तरह से इतनी कुर्बानी हम ने दी है और आज भी दे रहे हैं। हमारे साथ जो धार्मिक अन्याय हो रहा है उस के लिये ही हम लड़ रहे हैं। राजनीतिक अन्याय के लिये तो लड़ ही रहे थे, अब हम धार्मिक अन्याय के लिये लड़ रहे हैं और इस धार्मिक अन्याय को खत्म करना चाहिए। आजाद हिन्दुस्तान में हम को क्या यही तोहफा मिलना चाहिए था ? 9 दफा मास्टर तारा सिंह जेल में गये, सात दफा संत फतेह सिंह जेल में गये।

श्री उपसभापति : हो गया।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : हो नहीं गया, अब हमारी बारी है और इसलिये हमें बताया जाये कि हम को धार्मिक आजादी है या नहीं। जो हमारे धार्मिक मामलात में रोजमर्रा दखलंदाजी होती है और जिस तरह से दखल दिया जाता है उस दखल की जितनी भी निन्दा को जाये वह कम है और मैं जानी जी से कहता हूँ कि वह इस अमेंडमेंट बिल को वापस लें और बीबी जी की बात मान लें। इसी में देश का भला है और इसी में जानी जी का और हम सब का भला है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sultan Singh. He is the last speaker.

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : उपसभापति महोदय, यह जो संशोधन बिल सरकार लायी है मैं जहां तक समझता हूँ सही है और हमारे सरदार गुरचरण सिंह जी प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं और राजेन्द्र

कौर हमारी बहिन है वे इस बात को मानते होंगे कि पंजाब के इतिहास में सब से सुन्दर और सब से बढ़िया और गुरुद्वारों के हित में जो शासन था वह महाराजा रणजीत सिंह जी का था और महाराजा रणजीत सिंह अनपढ़ थे, लिखे पढ़े नहीं थे ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : उस वक्त गुरुद्वारे आजाद थे ।

श्री सुलतान सिंह : लेकिन वह पढ़े लिखे नहीं थे और आज जो अमेंडमेंट आया है कि आफिस बियरर पड़ा लिखा न हो तो इस के लिये आप को क्रोध नहीं करना चाहिए (व्यवधान) इस में कोई संदेह नहीं कि अकालियों ने बहुत जबरदस्त मूवमेंट छोड़ा था लेकिन वह इस बात को मानते होंगे कि वह मूवमेंट केवल अकालियों का मूवमेंट नहीं था । गुरुद्वारों को आजाद कराने के लिये उस सारे मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उतना ही हिस्सा लिया था जितना कि अकाली पार्टी ने लिया था ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : वह अकाली झंडे के नीचे लड़ा गया था ।

श्री सुलतान सिंह : पं० जवाहर लाल नेहरू ने उसके लिये गिरफ्तारी दी, गुरुमुख सिंह मुसाफिर उसके लिये जेल गये, ज्ञानी जैल सिंह जेल गये, उसके लिये प्रताप सिंह कैरों जेल गये । (व्यवधान) और सारे देश के नेताओं ने उस मूवमेंट को सपोर्ट किया था । आप उसे भूल नहीं सकते । (व्यवधान) वह मूवमेंट खाली अकालियों का मूवमेंट नहीं था । इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस मूवमेंट को अपना मूवमेंट मान कर चलाया था और महात्मा गांधी का पूरा समर्थन उस मूवमेंट के साथ था ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : महात्मा गांधी ने कोई जत्था नहीं भेजा था ।

श्री सुलतान सिंह : महात्मा गांधी ने जत्था भेजा था तब जवाहर लाल जी गये थे । आप क्या बात करते हैं । जो एतिहासिक बात है उसको आप नहीं भुला सकते । सारी इंडियन नेशनल कांग्रेस उस मूवमेंट के पीछे थी । इसके अलावा गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी बनी, ऐक्ट आया, वह ऐक्ट भी उस वक्त की सरकार ने पास किया था । आज जो ऐक्ट आ रहा है, जो अमेंडमेंट आ रहा है वह आज की सरकार ला रही है । आप इसको गुरुद्वारों में दखल देना क्यों कहते हैं । अगर हम गुरुद्वारा प्रबन्धक ऐक्ट के अन्दर कोई अमेंडमेंट लाते हैं तो इसके मायने गुरुद्वारों में दखल देना नहीं है । क्या हम गुरुद्वारों में किसी डिप्टी कमिशनर या पुलिस कप्तान को भेज रहे हैं । आज अमेंडमेंट को पास करने के बाद भी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का जो भी चेयरमैन बनेगा वह सिख ही बनेगा, कोई दूसरा सरकारी अफसर नहीं बनेगा । तो गुरुद्वारों के मामलों में यह दखल कहाँ है ? जहाँ तक हमारे दोस्त जत्थेदार जी ने इस बात का जिक्र किया कि अकाली पार्टी ही सिखों की नुमाइन्दा है, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता । अभी पंजाब से 12 मੈम्बर जीत कर आये हैं । 13 सीटों में से 12 कांग्रेस ने जीती हैं । एक हारा है केवल दो हजार वोटों से ।

श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा : मैं कहता हूँ कि गैर सिक्खों की वोटों से जीतकर आये हैं । ... (व्यवधान)

श्री सुलतान सिंह : इसके अलावा आपने यह कहा कि कांग्रेस की सरकार सिक्खों को बढ़ने नहीं देना चाहती, यह बिल्कुल गलत बात है । यहाँ सरदार बूटा सिंह बैठे हैं, अगर मैं गलत नहीं कहता तो ईमानदारी से बताइये

[श्री सुलतान सिंह]

वहाँ के नन्देड़ रेलवे स्टेशन का नाम हुजूर साहब किसने रखा है? 'पटना साहब' किसने रखा वह कांग्रेस की सरकार ने रखा। यही नहीं कीरतपुर साहब का नाम किसने रखा? वह कांग्रेस सरकार ने रखा। मैं यह बात बड़े गौरव से कहता हूँ कि कांग्रेस सरकार हमेशा सिक्खों की मदद करती रही है और गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी के चेयरमैन जत्थेदार ऊधमसिंह मोगा कौन थे? क्या वे कांग्रेस के मेम्बर नहीं थे? कितने साल तक वह गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी के चेयरमैन रहे... (व्यवधान)

श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा : आपकी ही सरकार ने रखा। (व्यवधान)

श्री सुलतान सिंह : उसके साथ ही साथ अमृतसर में कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन के भी रिसेप्शन कमिटी के वह सीनियर नेता थे और उसी टाइम में आपके अकाली दल का भी अधिवेशन हो रहा था लेकिन गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी के अध्यक्ष ऊधमसिंह मोगा कांग्रेस कमिटी में थे, अकाली कमिटी में नहीं गये।

श्रीमती राजेन्द्र खौर : यही तो हमारी कॉम्प्लेंट है। (व्यवधान)

श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा : यही हमारी शिकायत है कि सरकार के बलबूते से नौ साल तक उनको प्रैसिडेंट रखा।

श्री सुलतान सिंह : उपसभापति महोदय, टोहड़ा साहब को याद होगा अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि दिल्ली के गुरुद्वारों का चुनाव गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी किया करती है। मैं मानता हूँ। लेकिन यह तब हुआ जब दिल्ली का सारा एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब के हाथ में था। जब कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन अलम किया गया तो गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी का चुनाव भी

यहाँ हुआ। कल आप कहेंगे कि हरियाणा के गुरुद्वारों का इंतजाम भी अमृतसर से होना चाहिए, मैं इस बातको नहीं मानता। ... (व्यवधान) ...

श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा : चल रहा है आज भी चल रहा है।

श्री सुलतान सिंह : हमारे हाथ में आयेगा तो आपका नहीं चलेगा।

श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा : आल इंडिया में चलेगा कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो अमृतसर को रोक दे, आल इंडिया के ऊपर चलेगा।

श्री सुलतान सिंह : मुझे इस बात का दुख है कि पंजाब के सिक्ख अपने आपको सारे सिक्खों का मुमाइन्दा समझते हैं। दिल्ली के गुरुद्वारों का इंतजाम दिल्ली के सिक्ख करेंगे, हरियाणा के गुरुद्वारों का इंतजाम हरियाणा के सिक्ख करेंगे, पटना साहब का इंतजाम बिहार के सिक्ख करेंगे। ... (व्यवधान) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sultan Sing don't address them, he address the Chair.

श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा : सिक्ख नहीं जाने देंगे जब तक हम जीते हैं। सिक्ख सारे के सारे गुरुद्वारों का प्रबन्ध करेंगे। हम सिक्खों में डिवाजन नहीं होते दगें आप जो साजिश कर रहे हैं वह चलने वाली नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री सुलतान सिंह : हमारी कोई साजिश नहीं है। सिक्ख धर्म पर हमें गौरव है। सिक्खों ने इस देश में बहादुर इंसान पैदा किये हैं और यही वजह है कि भारत जब आजाद हुआ तो इस की रक्षा की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार बलदेव सिंह के हाथ में रखी। इस हिन्दुस्तान का बड़े से बड़ा काम हमेशा

सिक्ख के हवाले रखा गया। अगर मैं गलती नहीं करता हिन्दुस्तान के अंदर जो सबसे अहम काम है सबसे मजबूत महकमा है वह भी एक सिक्ख के हाथ में है और वह है ज्ञानी जैल सिंह। (व्यवधान) ... यह सिक्ख वह सिक्ख है जो अकाली मंचों में जेल में गये। गुरुद्वारा प्रबोधक कमेट बनाने के लिये जेल में गये। उसके बाद इस देश को आजाद कराने के लिये जेल में गये। टोहड़ा साहब भूल जाते हैं आनन्दपुर साहब को। गुरु गोविन्द सिंह मार्ग किसने बनाया? वह अपने अक्ल की सरकार ने नहीं बनवाया वह भी ज्ञानी जैल सिंह की सरकार ने बनवाया। (व्यवधान) गुरु गोविन्द सिंह के हथियार जो इंग्लैंड के अंदर पड़े हुए थे उनको कौन इस देश के अंदर लाया? यह कांग्रेस सरकार लाई। अगर मैं गलती नहीं करता तो आपको बताता हूँ

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : हमें एक ही प्रधान मंत्री के ऊपर गौरव है, वह है लाल बहादुर शास्त्री। उस लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो काम हमारे लिये किया और आपकी प्रधान मंत्री जी ने जो हमारे लिये बुग किया उसको हम याद रखते हैं ... (व्यवधान)

श्री सुलतान सिंह : वह भी तो कांग्रेसी थे। अकाली दल के तो नहीं थे। (व्यवधान) मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि गुरु तेगबहादुर का जब 300वां साल मनाया गया उस वक्त देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी। मैं गलती नहीं करता तो कितनी शान के साथ जितने मान और इज्जत के साथ सारे हिन्दुस्तान में गुरु तेग बहादुर का 300वां साल मनाया गया, ज्ञानी जैल सिंह बैठे हैं, सरदार बूटा सिंह बैठे हैं और मैं भी सारे जलूस

में आपके साथ रहा। सारा इतजाम इन्दिरा गांधी की सरकार का था। आप इस बात को भूल जाते हैं। आप कहते हैं आप देश से ऊपर हैं। ... (व्यवधान) आपने अपनी तकरीर में कहा कि आप प्रांत से भी ऊपर हैं। जुवान से भी ऊपर हैं। देश से भी ऊपर हैं। यह बात सुनकर मुझे दुख हुआ कि आप देश से ऊपर हैं। (व्यवधान) ... सारा भारत जानता है कि गुरु तेग बहादुर ने इस देश के लिये शीश कटायी और आप कहते हैं कि आप देश से ऊपर हैं। (व्यवधान) अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी जगजीत सिंह जब लड़ाई हो रही थी तब पाकिस्तान रेडियो पर बैठ कर हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रचार करते रहे। (व्यवधान)

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : आप भजते हैं। (व्यवधान)

श्री सुलतान सिंह : जब जगजीत सिंह हिन्दुस्तान में आता है तो यह अकाली दल उसका स्वागत करते हैं, जुलूस निकालते हैं। (व्यवधान)

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : पासपोर्ट किसने दिया? आपने ही दिया था। (व्यवधान)

श्री सुलतान सिंह टोहड़ा साहब : आपकी बात सुन कर बड़ा अफसोस होता है।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : मुझे कोई अफसोस नहीं है अपनी बात पर। आप मुझे मशवरा न दें।। (व्यवधान)

श्री सुलतान सिंह : टोहड़ा साहब ने कहा कि पंजाब और सिंध बैंक में चूँकि सिखों का रुपया है इस लिए नेशनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। कल को मारवाड़ी कहेंगे कि सेंट्रल बैंक में मारवाड़ियों का रुपया है इस लिए उसको नेशनलाइज

[श्री सुलतान सिंह]

न किया जाए। परसों अग्रवाल कहेंगे कि फजाना बैंक में हमारा रुपया है इस लिये इमली नेशनलाइज नहीं किया जाना चाहिए।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुलतान सिंह : दूसरे कहेंगे कि इस बैंक में हमारा रुपया है इसको नेशनलाइज न किया जाय। यह कोई बात हुई। यह कोई तरीका हुआ। हमें देखना चाहिए कि राष्ट्र का हित किसमें है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि हरमंदिर साहब के नाम पर एक ट्रेन चलनी चाहिए। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ कि आप यह संशोधन लाए। जानी जी आप जो, यह संशोधन लाए इसका मैं समर्थन करता हूँ और अकाली भाईयों से दरखास्त करता हूँ कि वह इस देश में टुकड़े होने की बात, अलग होने की बात न करें। समूचे देश को अपना देश मान कर चलें।

श्री उदयभाषति : श्रीमती राजेन्द्र कौर आप जवाब संक्षेप में दीजिये।

*SHRIMATI RAJINDER KAUR: Mr. Deputy Chairman, Sir, we do not say that Giani ji is not a Sikh or he has no love for Sikhism. We never indulge in such talks, nor is it necessary. The Sikhs have been highly praised. But I would like to mention one incident. Soon after partition when we were coming to India in caravans the Ministry of Home Affairs issued a circular which was sent to all the Deputy Commissioners. It had been mentioned in that that the Sikhs are a criminal race, a close vigil be kept on the

Sikhs. This circular was shown to Master Tara Singh by Sardar Kapoor Singh, the then Deputy Commissioner of Dharamsala. Since Master Tara Singh had been his teacher, he was staying with S. Kapoor Singh when he got the circular. Sardar Swaran Singh was the Home Minister of Punjab then. I remember the Home Minister was coming from Delhi and I was accompanying my father who was going to Delhi from Amritsar, we met on the way. Master Tara Singh asked Sardar Swaran Singh whether he had given this gift of such a circular to the Sikhs whose representative he was. He told him that the circular had been received from the Ministry of Home Affairs, Govt. of India and that he had rather diluted the language of the circular.

There is a back-ground to this. The three communalists Hindus led by justice Mahajan met Pandit Nehru and told him when the Sikhs could drive away the Muslims who are a martial race, then what would be the fate of the Hindus in the Punjab who are not a martial race at all. Therefore, a strict vigil be kept on the Sikhs. Since that day our struggle against this type of behaviour started.

The issue is as to who can claim himself as the representative of the people. The representative of the country is Shrimati Indira Gandhi because she has won by a majority of votes. Even though we did not vote for her yet that does not take away her right of being the representative of the country.

Similarly when the Akali Dal gets 80 per cent votes from the Sikhs then the Akali Dal alone shall be treated as their representative and not those who poll just 20 per cent of Sikhs voted.

We never doubt Giani ji's faith in or allegiance to Sikhism. But he should understand the traditions of

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

the Akalis. He knows it well as to what can be the possible consequences of interference in the affairs of the Gurdwaras. But in spite of all, that, I do not know what are his compulsions, he alone knows. We are not aware of them. When we talk of provincial autonomy they say that we talk all nonsense. But I say that Mr. Jinnah never wanted Pakistan. It is these people who are responsible for the creation of Pakistan because they tried to treat the Muslims as second class citizens.

We want to live in India. But I would like to tell you that the Country is great no doubt. But our religion is greater. Master Tara Singh was once asked whether he was a Sikh or an Indian first. He had replied that he was a Sikh first and he was a sikh last. He was an Indian because his religion was safe in India. Why did we leave Pakistan? It was simply for the sake of our religion.

We say that our religion and politics are not separate but are one: why does those who believe in religion and politics as separate interfere in Gurdwaras Management. Giani ji may contest the Gurdwaras Elections after relinquishing his Ministership, he can probably get 80 per cent votes. But while being a Congress Minister he can never win the Gurdwaras elections as the Sikhs do not tolerate a Congress Minister in Gurdwaras Management.

Congress is doing all this to Akalis who were co-partners of the congress during the freedom struggle. When the Congress had held its session at Nagpur, the Congress men were not prepared to take out a procession. They could not dare to do so. They invited the Sikhs from Punjab. It was only the Sikhs who had led the procession. I have a photograph of this. The Sikhs used to help the Congress because it was a struggle for independence of the Country.

We treated the country as the biggest Gurdwara. That is why we

made sacrifices. When the Gurdwaras Act was framed, there was a clear clause therein that only that Sikh can be a voter who has faith in Guru Granth Sahib and the 10 Gurus. Therefore, the Namdhari Sikhs are not covered by that clause because they believe in 14 Gurus.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

*SHRIMATI RAJINDER KAUR: Giani ji has not denied that Shri Prem Singh Prem was nominated in place of Sardar Jaswant Singh. He has referred to the election of 35 members. There was no Ministry is P.E.P.S.U. in those days. It was under President's Rule. It was being ruled by the Centre. They had their own voters and their own candidates. That is why I have referred to them as nominated members.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

*SHRIMATI RAJINDER KAUR: He has referred to Sehajdhari Sikhs. The Gurdwaras Act contains the definition of a Sehajdhari also. Giani ji must be knowing the difference between a Sehajdhari and Pattit. A Pattit is one who shaves off long hair after being a Singh once but ceases to be so afterwards. A person whose sons gradually become Sikhs, is a Sehajdhari. But what is the number of Sehajdhari sikhs today? They used to be there in West Punjab. So long as this clause was there no Sehajdhari ever became a member of S.G.P.C. Afterwards, during the regime of Shri Kairon the congressmen tried to inflate the number of their voters they enrolled Hindus as voters in S.G.P.C. elections by declaring them Sehajdharis. But we did not allow these voters to cast their votes. The fact, however, remains that the clause had been inserted for the benefit of a particular member and has been removed for the sake of that very member.

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

[Shrimati Rajinder Kaur]

Shri Sultan Singh has said that the Gurdwaras of Delhi belong to Delhi-wallas. But all the Gurdwaras jointly belong to all whether it is a Gurdwara in Delhi or Gurdwara Harmandir Sahib or any other Gurdwaras.

Sir, he has said that Shri Ishar Singh Majhel had not banned the recitation of *Shabad*. I do agree that he had not banned it. But he had stated in a written address that it should not be recited in the Gurdwaras in future.

Udham Singh Nagoke was referred to by him. You may remember that when prosecution was started against O'dwire, an Akali member of British Parliament criticised him. Then he said that he had been highly praised by the Indians. His reply was "what about Indian? They worship the snakes that bite them." (*Interruptions*)

When it was decided that at the time of an enquiry, there will be four members, 2 representatives of the Govt. and 2 from the S. G. P. C. and in case of a disagreement between them the matter was to be referred for arbitration to Mr. Nehru himself and not the Governor of Punjab. I had asked Masterji as to why he quarrelled with Mr. Nehru and had told him to accept Nehru's decision, he had replied that there was nobody else among the Congress men who was less communal than Mr. Nehru. Pandit Nehru had given certain rights to the untouchable communities among Hindus in Punjab. But had denied those very rights to the untouchable communities among Sikhs. Thereupon someone among us asked Mr. Nehru as to what was all this going on. Pandit Nehru angrily remarked: "What can I do? I am bound and handcuffed by these communal-minded people." These are the words of Pandit Jawaharlal Nehru. And if this tendency continues, God knows what is going to happen to this country.

Therefore Sir, appeal to the Treasury Benches, to the Home Minister and Sardar Buta Singh that they should prevail upon the Prime Minister in this connection. This would not pay the Government, this would not pay us, and this would not pay you well. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the hon. Minister.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार):
उपसभापति जी, इन को कितना समय मिला है।

श्री उपसभापति : जितना समय चाहेंगे उतना मिलेगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : जितना चाहेंगे उतना यह कैसे होगा ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister has a right to reply.

ज्ञानी जैल सिंह : उपसभापति जी, यह जो बीबी राजेन्द्र कौर जी ने स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन रखा है उस के हक में तो कोई तकरीर हुई नहीं और इन्हीं तक
*Even the Shiromani Gurdwara Parbhandhak Committee President while opening his speech, has said that he is not opposed to the Amendment. Because even earlier he was not opposed to the Amendment, nor is he now. This is a wise act on his part. He said that if he had opposed the Amendment now it would not have behaved him. The C.P.I. (M) Leader also spoke. I do not wish to go into the details of the speech of Comrade Surjeet when they interfere in the affairs of the Gurdwaras or when they apologised therefor or when he made a speech to that effect. But the fact remains that he has also said that he is not opposed to the

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

Amendment. Why is he not opposed to it? The reason is that when this Bill was passed in 1971 one Member, Shri Bhan Singh Bhaunra of the Communist Party had also opposed the Amendment in the Lok Sabha. Mr. Joshi who is a Member of B.J.P. also made a lengthy speech. I may like to remind him that Mr. Advani was in the Rajya Sabha at that time and he had strongly opposed this clause. I do not want to repeat it because I do not like to take much time of the House. I think very lengthy speeches have been made but those speeches had nothing to do with this Gurdawaras (Amendment) Bill. The point that has been stressed is that the Amendment could be made but they suspect our bonafides. Those Sikhs also encouraged me who do not wear long hair and I am grateful to them for their suggestions. They said that we should not divide the sikh Community and should not weaken it. I wish to tell Mr. Siddhu that it is not our aim to create rift in any Community or to create internal disturbances. I am a Sikh of the Guru and I keep a beard and wear a turban. I think Mr. Tohra is S.G.P.C. President but he must know that he used to be elected to the S.G.P.C. from the former Punjab province.

हिन्दी में बोलूँ ।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिए ।

श्री उपसभापति : ठीक है बोलिये ।

ज्ञानी जल सिंह : खैर अच्छा है दूसरे दोस्त समझेंगे मैं विनती कर रहा था टोहड़ा साहब की जो पुराना पंजाब था उस में से चुने जाते थे । शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी का दायरा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया जो पंजाब से कट कर हिमाचल प्रदेश में गया और बाकी पंजाब में है उसमें इलैक्शन होता है , और हम सब इस बात के लिए अदब

करते हैं शिरोमणि कमिटी का क्योंकि सबसे पहले यह जमायत बनी थी और उसमें जो कुर्बानियां दी गईं शायद उन कुर्बानियां देने वालों में से आज शिरोमणि कमिटी में हों या न हों मगर इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए उन वरकतो को नहीं झुलाना चाहिए जो की गई थी और टोहड़ा साहब बिल्कुल भूल गये कि इस मोर्चे में जहां जैतों में गोली चली थी और अनगिनत सिंघों को शहीद किया गया था उस में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी खुद गये थे और उन के साथ मिस्टर गिडवानी थे मुक्तसर से जैतों तक रास्ते में पैदल चल रहे थे तो किसान किसान ने बैलों की गाड़ी लाकर दी कि पंडित जी इसमें बैठ जाइये । पंडित जी जिस रास्ते पर आये थे गांव में, एक जगह रुके । वहां भी उनकी यादगार है । लेकिन जब सरकार को पता चला कि पंडित जवाहर लाल नेहरू यहां सिख मोर्चे में आ गये हैं और मुक्तसर से आये हैं , तो उन दोनों को पकड़ा गया । गि० गिडवानी और पंडित जवाहर लाल जी जधानी की उम्र में थे और दोनों को एक हथकड़ी लगाकर जैतो रेलवे स्टेशन , जो छोटा सा स्टेशन है , की पटरी पर सारी रात रखा गया और उसके बाद में उनको नाभे की जेल में ले जाया गया । नाभ की जेल में जो उनके साथ बीता, पंडित जी ने अपनी किताब में लिखा है । पंडित जी ने एक खत लिखा और वह पंजाबी युनिवर्सिटी ने छपा भी है । यहां भी मिल सकता है और टोहड़ा साहब को मालूम है कि वह खत गुरु गोविंद सिंह महाराज की जब यात्रा पर गये थे तो बड़ी भारी तादाद में तकसिम किया गया और पंडित जी ने जो शब्द कहे थे मुक्तसर की प्रतिक्रमा में, शायद कोई सिख भी इतने जोर से न कह सके ।

लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी मौका मिला सिखों की कुर्बानियां करने का, या तकलीफों का, तो पंडित

[ज्ञानी जैल सिंह]

जवाहर लाल नेहरू और उनकी बेटी हमेशा उन के साथ रहीं और हर मुसीबत का सामना करने के लिए उन के साथ रहे और अमी-अमी मुलतान सिंह जी ने बात कही थी—गुरु तेग बहादुर को तीन सौ साल हुए। उस वक्त हिन्दुस्तान का शहनशाह औरंगजेब था और उसकी हुकूमत में यह जो कोतवाली है, इस में गुरु तेग बहादुर जी और उन के दो सेवक सिख—एक भाई मती दास और एक भाई दयाल वहाँ दोनों भी साथ थे। दोनों को पहले दिन शहीद किया गया और इस के बाद गुरु तेग बहादुर को शहीद किया गया।

यह बताया सतरहवीं शताब्दी, 1700 में था। उस वक्त मुगलों का राज था। लेकिन जो शहनशाह गुरु तेग बहादुर को शहीद करने वाले थे उस ने मुसलमान भी शहीद किये थे उस ने अपने भाई दारा को भी शहीद किया था। वह हिन्दुस्तान की लड़ाई नहीं थी, असल में इतिहास ने उस को बिगाड़ दिया। लेकिन इसके बाद अंग्रजों का राज आया, सौ साल बीते। अंग्रजों के राज में भी गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस किसी ने नहीं मनाया था।

हिन्दुस्तान आजाद हुआ और आजाद हिन्दुस्तान में गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहीदी का साल मनाया गया। तो पहला मौका है जब तमाम हिन्दुस्तान की पातशाह की हैसियत रखने वाली प्राइम मिनिस्टर ने जाकर लोगों में—पन्द्रह लाख को कहा था कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर थे और मैं खुद भी गुरु तेग बहादुर जी पातशाह के प्रति अहसानमंद इसलिए हूँ कि मेरे बुजुर्ग जो कश्मीर से आए और कश्मीर से आकर उन्होंने गुरु तेग बहादुर को कहा और उनका मश्वरा, उनकी बात सुनने के बाद, उनकी फरियाद

सुनने के बाद गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए थे और उसके बाद तमाम हिन्दुस्तान के इसाईयों ने, मुसलमानों ने, पारसियों ने, बौद्धों ने गुरु तेग बहादुर जी के प्रति श्रद्धांजलि भेंट की—मैं तोहड़ा साहब आपको कह सकता हूँ कि सिख इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार साथ थी। इसलिए हुआ कि श्रीमती इन्दिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं और उनके शब्दों का फायदा श्रद्धांजलि का हुआ।

लेकिन मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने कुछ विशेष हमको दिया। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि सिखों पर, मुसलमानों पर, इसाईयों पर, बौद्धों पर कोई ऐसी बात हिन्दुस्तान में श्रीमती इन्दिरा गांधी के राज में नहीं हुई जिसमें उन सम्प्रदायों को और उनके रस्मों-रिवाज को, उनके कामकाज को, उनके इतिहास को और उनकी रिवायतों को कभी नुक्सान किया गया हो और कमजोर किया गया हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है कि यदि इनमें लड़ाई झगड़ा किसी किस्म का हो, तो बैठ कर बात की जा सके। मास्टर तारासिंह से भी बात होती रही और हमारी बहिन ने जो रिजोल्यूशन पेश किया—ये भी श्रीमन, मास्टर तारा सिंह की बेटी हैं—लेकिन मास्टर तारा सिंह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ लड़ते भी थे, जब उन के साथ अंत काल में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में एक ही आदमी है जो इन्सान को इन्सानियत का दर्जा दे सकता है, और कोई दे नहीं सकता है, बाकी लोगों में फिरकेदारी हो सकती है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक-एक मेम्बर का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत लगेगा। टोहड़ा साहब ने बहुत लम्बी तकरीर की और आप की फराखदिली की भी मैं

प्रशंसा करता हूँ कि आप ने उनकी लम्बी तकरीर को सुना । लेकिन तोहड़ा साहब ने जो अपनी तकरीर की उस में उस अमेंडमेंट की बात उन्होंने नहीं कही लेकिन उन्होंने शिकायत की है कि अकाली मेम्बरों की, सिखों की बात को माना नहीं जाता । तो मैं यह कहना चाहता हूँ, एक तो इसमें राजनैतिक कोई बात नहीं । यह अमेंडमेंट जो हम लाए हैं इसको पहले लाना चाहिए था । उनका ख्याल है कि जब 1976 में यह रिजोल्यूशन हुआ तो अमेंडमेंट क्यों नहीं लाए ? उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 1976 के बाद 1977 आया और 1977 में सरकार बदली और उस बदली हुई सरकार में आपका हिस्सा बहुत बड़ा था, पार्लियामेंट में भी आप जीत कर आए थे और जो सरकार यहाँ थी उस में भी आप की पार्टी के दो मेम्बर रहे... (व्यवधान)...

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : मैं इस बारे में कुछ कह दूँ, एक मिनट...

ज्ञानी जैल सिंह : हमारी बात सुन लीजिए । आप की बात बड़े अदब से सुनी । आप सुनिएगा, उस के बाद कह लीजिए । लेकिन उस वक्त भी सरकार के प्रति, जिस सरकार की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, अब कुछ हमारे दोस्त बहुत हमदर्दी दिखलाना चाहते हैं सिख कम्युनिटी के साथ, उन के साथ क्या बीती और क्या कुछ कहा गया है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, क्या कहा मैं उस को दुहराना नहीं चाहता, जितनी हानि, जितनी बेइज्जती उस वक्त हुई, जब कि सारे के सारे तमाम मेम्बर पार्लियामेंट टोहड़ा साहब के पार्टी के थे, जब वजीर टोहड़ा साहब की पार्टी के थे—एक भी काम, कोई भी, बता दें कि एक भी शिकायत सिखों की डिमाण्ड के बारे में कही गई हो ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : हमें 3 मिनट दे दो मैं बताऊंगा ।

ज्ञानी जैल सिंह : टोहड़ा साहब, आप सब से सुनिए । मैं अपनी बहिन को बड़ी अदब से कहता हूँ, उन्होंने कहा, जो अकाली नहीं है—चूँकि हम धर्म को मजहब को और सिथासत को एक मानते हैं, “तुम नहीं मानते हो”—इसलिए आप के साथ नहीं हैं । यह अच्छा हुआ कि मैं इसे साफ कह दूँ कि यह हमारे लिए एक बुनियादी बात है कि हम राजनीति को अलाहिदा समझते हैं और मजहब के मामले को अलाहिदा समझते हैं । मैं सिख गुरुओं को मानने वाला होते हुए भी यह समझता हूँ कि मैं पूरा सिख नहीं । अगर होम मिनिस्टर होते हुए मेरी नजर में कोई आदमी है, अगर मैं सिखों के साथ रियायत करूँ और दूसरों के साथ रियायत ना करूँ तो मैं गुरुओं के सिखाए हुए रास्ते पर चलने के कादिल नहीं हूँ और मेरा फर्ज है, मैं इस बात पर चलूँ और मैं अपनी बहिन और टोहड़ा साहब से प्रार्थना करूँगा कि आप शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हैं लेकिन आप फिर से इतिहास को खोजिए । कवियों की बात पर न जाइए, शायरों की बात पर न जाइए, जो गुरु गोविन्द या गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है उस को पढ़ने के बाद आप को मानना पड़ेगा कि राजनीति और चीज है और मजहब और चीज है । गुरु गोविन्द सिंह जी का एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ जो उनके मुखारविंद से कहा गया है—

“को भयो मुंडिया संयासी, कोऊ जोगी भयो कोऊ ब्रम्हचारी कोऊ जती अन मानबो हिन्दू और तुर्क कोऊ राफसी इमाम शाफी मानस की जात सभी ए कै पहिचानबो”

गुरु गोविन्द सिंह ने कहा, जो मेरा सिख है, जो गुरु दा सिख है, उसे समझना

[ज्ञानी जैल सिंह]

चाहिए कि दुनिया में, संसार में, ऐसे लोग बहुत हैं अपने-अपने ख्याल से, अकीदे से, परमात्मा की इबादत करने के लिए, या इबादत न करने के लिए संसार में इन्सान हैं लेकिन इन्सान की एक ही जात है और उसी में भगवान को देखना चाहिए और उसी में परमात्मा को देखना चाहिए । और जो गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मानता, वह सिख नहीं है... (व्यवधान)... मैं कहता हूँ कि वह गुरु का सिख नहीं है, और गुरु ग्रंथ साहब को मानने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब को नमस्कार कर दे । जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वह माने, वही सच्चा सिख हो सकता है । गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है :

अव्वल अल्ला नूर उपाया, कुदरत के
सब बन्दे,

एक नूर से सब जग उपजा, कौन
भले कौन मन्दे ।

खालिक खल्क, खल्क में खालिक...

एक जगह नहीं, हजारों जगह गुरु साहब ने तमाम इन्सानियत को एक जैसा समझने की हिदायत दी । लेकिन आप तो सिखों को भी सिख नहीं समझते । कैसे गुरु की आप नुमाइन्दगी करेंगे । गुरु ने कहा कि तमाम दुनिया के इन्सानों को एक समझो । भगत कबीर की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है । उस को हम नमस्कार करते हैं, उस को गुरु वाणी मानते हैं । कबीर की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में है उस को आप भी नमस्कार करते हैं गुरुओं की वाणी समझ कर, हम तो करते ही हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि सिख धर्म को पहले समझने की जरूरत है । मैं इस बिल के बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के प्रधान हैं

कभी सिखों की तरफ देखो, सिखों की तरफ भी देखो, राजनीति में इतना न उलझो कि सिखों को भूल जाओ—कोई ऐसा मिलाप करो, सिखों के लिए कोशिश करो । इस बात को भी देखना चाहिए कि गुरु गोविन्द सिंह का जन्म पटना साहेब में हुआ, वह शहीद दक्षिण में हुए गोदावरी के किनारे—कोई गुरु की शिक्षा कोई गुरु की वाणी मुझे बता दो जहाँ पर यह कहा गया हो कि सिख एक अलहदा कौम है । आप कौम भी अलहदा मानते हैं ।

सरदार गुरुचरण सिंह टोहड़ा : मानते हैं कौम हैं ।

ज्ञानी जैल सिंह : मैं टोहड़ा साहब से बड़े अदब से कहना चाहता हूँ आप की मार्फत—आप की मार्फत मैं दोनों को कहना चाहता हूँ, और मेंबर भी बोले हैं, उन को भी कहना चाहता हूँ । यह उसूल मेरी बहिन ने मान लिया कि जम्हूरियत में जिस को ज्यादा वोट मिलें वह नुमाइन्दगी करता है । आज तमाम भारत से 11 सिख लोक सभा में चुन कर आये हैं और उन 11 में से 1 अकाली है । तो अब सिखों को नुमाइन्दगी कांग्रेसी सिख करते हैं या अकाली करते हैं, इस का फैसला कौन करेगा ? (व्यवधान)

श्रीमती राजेन्द्र कौर : गुरुद्वारा इलेक्शन में देख लो . . . (व्यवधान) उनमें तो गैर सिख आ जाते हैं ।

सरदार गुरुचरण सिंह टोहड़ा : सिर्फ सिखों का वोट हो . . . (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप जवाब तो देने दीजिये ।

सरदार गुरुचरण सिंह टोहड़ा : अफसोस इस बात का है . . . (व्यवधान)

श्री जे. के. जैन : डिपुटी चैयरमैन साहब इन को बैठा दीजिये ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : अफसोस इस बात का है कि कोई मेम्बर साहब जिस को पता न हो पूरी बात का वह गलत बात कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जानी जी सब कुछ जानते हुए गलत बयानी कर रहे हैं। (व्यवधान) मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि ज्वाईंट इलेक्टोरेट से नहीं हो सकता। सिखों की नुमाइन्दगी सिखों के वोट से हो।

श्री उपसभापति : जो आप ने कहा है वह उन्हे पता है।

जानी जैल सिंह : उपसभापति जी, यह भी कहा गया है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में हम हारे। हमने कांग्रेस के नाम पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव नहीं लड़ा।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : जरूर लड़ा।

जानी जैल सिंह : न हम गुरुद्वारे के मामले में इस तरीके से दखल देते हैं। हम इतनी बात का जरूर हक रखते हैं कि गुरु नानक, गुरु गोविन्द सिंह और दसों गुरुओं को हम मानते हैं। इस को आप रोक नहीं सकते। सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत चले गये। उन्होंने बड़ी लचढ़ोचर तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि हम बड़े शरीफ आदमी हैं, हम अक्वालियों के मामले में दखल नहीं देते, ये कांग्रेसी देते हैं।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : धर्म के मामले में।

जानी जैल सिंह : पहली बात यह समझने की जरूरत है कि धर्म और चीज है। जब धर्म के लिए गुरु ग्रन्थ साहेब में लिखा है—सर्व धर्म

में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम निर्मल करमा। धर्म एक चीज है और मजहब दूसरी चीज है। स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन में बहुत फर्क है। सियासत दोनों से अलग है। धर्म सियासत से बहुत ऊपर है। इस लिये ही मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप धर्म की बात को सही तौर से समझें। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप बैठिये।

जानी जैल सिंह : उपसभापति जी, मैं आप से कहना चाहता हूँ और मैं उनसे मर्यादा करूँगा और तमाम मुल्क के लोगों से प्रार्थना करूँगा कि इस बात पर वह सोचे कि धर्म और स्पिरिचुअलिज्म एक पवित्र चीज है और उस का सियासत से कोई वास्ता नहीं है। सियासत एक अलग चीज है और उस के बाद की चीज है। सियासत को मजहब के साथ लगा कर मजहब को आप नुकसान पहुंचावेंगे। सियासत की गंदगी को उस में मत लाइये। हम का कहते हैं कि आप कांग्रेसी हैं, पहले आप कांग्रेस छोड़ कर आइये और तब इस में दखल दीजिए। तब मैं कहता हूँ बीबी रानी को और टोहड़ा साहब को और उन के सथियों को कि आप जरा गुरुद्वारों को छोड़ कर सियासत में आ आइये। अगर आप धर्म नहीं आते तो मैं भी उधर नहीं जाऊँगा। दोनों जगहों पर आप चलेंगे यह ठीक नहीं है। दो बेड़ियों पर पांव रख कर कोई नहीं तैर सकता। आप मास्टर तारा सिंह की बेटी है इस नाते मेरे दिल में आप के लिये बड़ी श्रद्धा है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि बहिन, गुरु ग्रन्थ साहब ने लिखा है कि :

मन जानत सब बात, जानत ही ओगुण करै।
काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परै।

जो अपने हाथ में दिया ले कर चले और कुएं में गिर जाए तो दोष किस का है। यह दुनिया में मशहूर बात है कि किसी सोये हुए आदमी को उठाया जा सकता है लेकिन अगर कोई आदमी मोण नहीं है और क्योंकि मैं सोया हुआ हूँ तो उस को कोई जगा नहीं सकता।

[जानी जैल सिंह]

(व्यवधान) अगर आप इसी बात पर ज़िद करें तो मेरे पास और कोई इलाज नहीं है। सरदार खुशवंत सिंह जी हमारे नामिनेटेटेड मेंबर हैं। उन्होंने बहुत तबारीख का हवाला दिया और बहुत से सिक्खों ने इतिहास की बात कही। मैं उनका जवाब देता लेकिन वह चले गये। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं इस बिल को वापस ले लूं। लेकिन कोई दलील तो देते कि इस को वापस लेने से क्या फायदा होगा सिक्खों का? मैं उन से यह सीधी सी बात पूछता हूं कि इस तरमीम के होने से सिक्खों का क्या बिगड़ेगा? कोई भी बता दे कि इससे सिक्खों का यह नुकसान हो जायगा। (व्यवधान) इससे सिक्खों के धार्मिक मामलात में क्या दखल होता है। इस तश्मीम को करने से सिक्खों के धार्मिक मामलात में कोई दखल नहीं होता है।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : बताया है, लेकिन आप सुनते नहीं।

जानी जैल सिंह : कोई दखल नहीं होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप शिरोमणि प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, उस का एक ऐक्ट है, उस के नाते ही है। उस को आप मानते हैं। तो जब ऐक्ट को मान लिया तो उस में सरकार को तरमीम लाने का अख्तियार तो है ही और उस नाते सरकार का दखल एक हद तक होगा ही, लेकिन धार्मिक मामलात में कोई दखल देता हो ऐसा बात नहीं है। मैंने दखल देने की कोई बात तो नहीं कही। हमारा हक है लेकिन फिर भी दखल नहीं देते। मैं मानता हूं कि आप गुरुद्वारों में रहे, बड़ी खुशी से रहे, बहुत लंबे असे तक रहे। टोहड़ा साहब ने कहा कि शिरोमणि प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन नहीं कराया। इसलिए वहां कराया कि सोचा कि आप शरीफ आदमी है, पहले से चले आ रहे हैं, चलने दो। नहीं तो इलेक्शन तो पहले भी करावा सकते थे। जब किसी के साथ भलाई करे तो उसको भी बात समझ में नहीं आती। शाही जी लोकदल के मेंबर हैं, वह चले गये। नहीं

बैठे हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया और मुझे याद आया कि :

इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किर्दार का गाजी हो न सका। अच्छा होता, अगर शाही जी के साथ चौधरी चरण सिंह जी भी होते तो मैं कह सकता कि टोहड़ा साहब की पार्टी की दोस्ती और चरण सिंह की दोस्ती का नतीजा क्या निकला? इकट्ठे होने और सम्बन्ध पैदा करने का क्या नतीजा निकला? इकट्ठे होने और सम्बन्ध पैदा करने का क्या फायदा होता? अब वह हैं नहीं, इसलिए मैं कहता नहीं, इस बात को मैं छोड़ता हूं।

उन्होंने एक बात कही कि होम मिनिस्टर ने अपनी पुलिस को भेज दिया। हमने कभी अपनी पुलिस को इस बात के लिए नहीं बैठाया। अगर कोई लड़ाई बगड़ा करे और एक पार्टी कह दे कि पुलिस भेजो तो हमें भेजनी पड़ती है। टोहड़ा साहब की बात दो मिनट में मान लें कि अकाली पंथ एक ही हैं तो टोहड़ा साहब मैं आपके दल को मानूं या तलवंडी जी के दल को मानूं? ... (व्यवधान)

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : आप सन्तोख सिंह के दल को मानते हैं। ... (व्यवधान)

जानी जैल सिंह : सरदार सन्तोख सिंह कहता है कि हम पंथ हैं। हमने इस बात को भी छोड़ दिया। हमें पंथ तो गुरु गोविन्द सिंह का चाहिए।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : जो गुरु गोविन्द सिंह की बात करेगा वही पंथ होगा। ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : कृपया समाप्त कीजिए ... (व्यवधान)

ज्ञानी जैल सिंह : अगर टाइम हो गया तो मैं समाप्त करता हूँ ।

श्रीमती राजेन्द्र कौर : बोलिये और थोड़ा । . . . (व्यवधान)

ज्ञानी जैल सिंह : मैंने तो कोई बात की नहीं । मैंने यह तो अमेंडमेंट की बात की है या आपकी तकरीरों में जो सिक्खों को खतरे की बात कही गई उसका जवाब दिया है । इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यहां तो मिली जुली सभा है, आप अकेले सिक्ख सभा बुला लीजिए, हम उसमें भी साबित कर देंगे कि सिक्ख कोन हैं । किसी भी सभा में साबित कर देंगे ।

डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि सारी बातों का जवाब न देते हुए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यह जो मैंने संशोधन पेश किया है, इसको परवान किया जाए । इसके साथ ही मैं बीबी जी से कहूंगा कि आपकी पार्टी वाले भी इसके बरखिलाफ हैं तो उसमें रह कर क्या करेंगे । उन्होंने हमारी नियत पर शक कर दिया, लेकिन तरमीम के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा । जब तरमीम के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं कहा तो आप अपने रेजोल्यूशन को वापस ले लें ।

श्रीमति राजेन्द्र कौर : एक मिनट दीजिए । . . . (व्यवधान)

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : एक बात तो हमें करने दो । . . . (व्यवधान)
हमें दो एक बातें करनी हैं . . . (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the Resolution of Shrimati Rajinder Kaur to vote. The question is:

"That this House disapproves the Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Ordinance, 1981 (No. 2 of

1981) promulgated by the President on the 21st January, 1981."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Giani Zail Singh to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Clause 2. There is an amendment by Shri Shiva Chandra Jha.

Clause 2— Amendment of section 16.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Sir, I move:

"That at page 1 for clause 2, the following be substituted, namely:—

'2. In the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (hereinafter referred to as the Principal Act in section 16,—

(i) to sub-section (1), the following proviso shall be added, namely:—

'Provided that there shall be a female President every alternate term.'

(ii) Sub-section (3) shall be omitted,"

जिस तरीके से यह संशोधन आर्डिनेंस के जरिये लाया गया इस पर हम को आपत्ति है । आर्डिनेंस का रास्ता इन्होंने क्यों अपनाया । यदि बाकायदा संसद् में लाते तो अच्छा रहता । जो करना था वह करते उसमें आपत्ति की बात नहीं होती । इस समय यह है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी का प्रेजिडेंट जो होगा वह मेट्रिक होना जरूरी नहीं जानी जरूरी है इसको हटाया जा रहा है । इसमें हम मतलब, सेंस देखते हैं । बगैर मेट्रिक पास भारत सरकार का मंत्री हो सकता है, होम मिनिस्टर हो सकता है । बड़ी से बड़ी दूसरी पोस्ट रख सकता है तब

[श्री शिव चन्द्र झा]

एक प्रबन्धक समिति का प्रोजेडेंट क्यों नहीं हो सकता । यह बात ठीक नहीं लगती । साधारण आदमी भी उसका प्रोजेडेंट हो यह बात मुझे जचती है । इसमें एक बात यह रखना चाहता हूँ कि इस समिति की प्रोजेडेंट कभी-कभी महिला भी होनी चाहिये । इसके लिए ऐसा हो सकता है कि हर दूसरी टर्म में महिला को लाया जाय । यदि हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री महिला हो सकती है, जो कि हम देखते हैं, वह हिन्दुस्तान का काम चला सकती है और दूसरी जगह महिला आ सकती हैं और काम चला सकती हैं तब प्रबन्धक समिति को प्रोजेडेंट कोई महिला क्यों नहीं हो सकती ? वह क्यों नहीं इसको चला सकती । इसलिए मेरा संशोधन है कि—यदि आप इसको पास कराना चाहते हैं तो इसके लिये ऐसा करिये कि हर दूसरे टर्म में एक महिला प्रबन्धक समिति की प्रोजेडेंट हो । (स्वप्रधान) अगर आप अब नहीं करेंगे तो कल को आपको विधेयक लाना पड़गा । आप से मुझ इतना ही निवेदन करना है कि महिला वाली यह बात आपमान लें । (स्वप्रधान)

The question was proposed.

ज्ञानी जैल सिंह : उपसभापति जी, श्री शिव चन्द्र झा जी से मुझे पूरी हमदर्दी है उन्होंने जो अमेडमेंट रखा उसमें यह है कि एक साल के लिए स्त्री बने और एक साल के लिए मुझे प्रेजिडेंट बने । वे हमारी मुश्किल यह है कि कांस्टीट्यूशन यह इजाजत नहीं देता कि स्त्रियों और मर्दों का रिजर्वेशन हो जाए । इसलिए हम रिजर्वेशन नहीं कर सकते । यह हो सकता है कि हमेशा मर्द ही बनता रहे या औरत बनती रहे, पर रिजर्वेशन की बात नहीं हो सकती । इसलिए मैं इसको मंजूर भी नहीं कर सकता । (अवधान)

श्री उपसभापति : बस ही गया ।

ज्ञानो जैन सिंह : झा साहब की जो दूसरी अमेंडमेन्ट है क्लोज 2 सब सेक्शन 3 शैल बी ओमिटेड इस का तो हम ला ही रहे हैं । इसलिये यह तो आपकी खत्म ही हो गई । मैं झा साहब से कहूंगा कि वह इस बात का जोर से प्रचार करे और लोगों को बताएं कि म्युनिसिपल कमिटी में, पंचायतों में और जहा से आप आते हैं वहां से भी पांच साल आप आएँ और पांच साल के लिये महिला आएँ । मैं इसको नहीं मानता ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That at page 1, for clause 2 the following be substituted, namely:—

'2. In the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (hereinafter referred to as the Principal Act) in section 16,

(i). to sub-section. (i), the following proviso shall be added, namely:—

'Provided that there shall be a female President every alternate term.'

(ii) sub-section (3) shall be omitted."

The motion was negatived.

[श्री शिव चन्द्र झा : मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं वाक आउट करता हूँ। ((न्यवधान))

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

GIANI ZAIL SINGH: Sir, I move:

"That the Bill be passed"

The question was proposed.

SHRIMATI RAJINDER KAUR: I object to this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already spoken, Madam.

SHRIMATI RAJINDER KAUR: My time you took in discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already spoken. (Interruptions)

All right. Put one query if you want to.

SHRIMATI RAJINDER KAUR: I have some observations to make. He has spoken after me. I have to contradict him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That right is not available to you.

SHRIMATI RAJINDER KAUR: No. Mr. Deputy Chairman, you must give me a few minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right, say what you want to.

*SHRIMATI RAJINDER KAUR: Mr. Deputy Chairman, Sir, Gianiji's speech was a fine piece of oration. I never say that the Sikh religion teaches hatred or, for that matter, any religion teaches hatred. But the point is whether the temples of the Hindus should be managed by the Hindus themselves or the Muslims should have interference in their management. The mosques of the Muslims must be managed by the Muslims themselves. The Hindus or the Sikhs should not have any interference in the management. Lakhs and lakhs of people may have faith in Guru Nanak Dev or Guru Govind Singh but the right of management of the Gurudwaras vests only in those who are Sikhs. There is a distinction

between a Khalsa and a Sikh also. The Guru turned the sangat into Khalsa. It is the third path. The Sikhs have an identity of their own. You should not confuse Quom with a nation. Quom is used in a much wider context without the barrier of statehood. It is defined as the people who have common goal, common religion, common way of worship, common way of eating, drinking and dressing. It is more and not less than what is meant by a nation. A nation is one which has its own language, its own history.

I stand by my statement that even if an Akali Minister tries to his over Gurdwara Voters as a Minister, I do not tolerate it. I condemn it. But they ask for votes as Akali not as Minister while your endeavour is to buy those persons who are elected on our ticket.

ज्ञानी जल सिंह : उपसभापति जी, मैं बीबी राजेन्द्र कौर जी की फिरका दिली की बहुत प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने वह क्वेश्चन पूछ दिया जो मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर उठाया जाय। मैं उनको विवास दिलाना चाहता हूँ किसी देश की एक कौम होती है और उस देश में कम्युनिटीज और महजहब भी होते हैं। हिन्दुस्तान में दूसरी कौम न तो मुसलमानों की है, न सिक्खों की है न बौद्धों की है और न ही जैनियों की है। हिन्दुस्तान में सब इंडियन हैं, सब एक कौम हैं। इसमें सारी कौमें हैं। अगर कोई पाकिस्तान में है तो वह पाकिस्तानी कौम है। वह मुसलमान हो सकता है, लेकिन उसकी कौम पाकिस्तान होगी, वह इंडियन नहीं होगा। इस तरह से कोई भी सिक्ख अगर किसी मुल्क में चला जाता है और वहाँ का सिटीजन भी बन जाता है तो उसकी कौम अमेरिकन होगी, उसकी कौम यू० के० होगी। अगर वह कौम नहीं है तो यह गुरु गोविन्द सिंह जी के आशय के खिलाफ है। गुरु साहब ने कहा था—यानी काल

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

[ज्ञानो जैल सिंह]

करमन दुश्मन सामने हो, साधू संत धर्म मन लाला, दुष्ट मल सफाया । दुष्टों का मल भरमन करने के लिए और जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं उनके बारे में गुरु जी ने कहा है । गुरु गोविन्द सिंह जी की यह बात है । उन्होंने दूसरी बात भी कही है ।

सरदार गुरचरण सिंह टोहड़ा : उसमें गौ पंथ और तीसरे पंथ की बात भी है । इस पर आप बोलेंगे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा ।

ज्ञानो जैल सिंह : टोहड़ा जी, पंथ की बात मैंने नहीं की है । पंथ तो नामधारियों का भी है आपका भी पंथ है । मैं पंथ को चलेन नहीं करता । पंथ तो एक व्यवस्था है । दूसरी बात बीबी राजेन्द्र कौर जी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं मिनिस्टर के रूप में काम करता हूँ तो किसी मजहब में दखल नहीं देता । सिक्खों के मामले में मैंने दखल नहीं दिया है । लेकिन अगर मेरी जात को कोई कुछ कहना चाहे तो फिर मुझे बोलना पड़ता है । वह मुश्किल बात होगी, लेकिन जातीय असलियत में दखल देने का हक है और मैं यही कहता हूँ कि अकाली ... (व्यवधान) ... और उपसभापति जी, मैं फिर कहता हूँ कि ...

श्री उपसभापति : वह समझेगी नहीं आप कुछ भी कहिये ।

ज्ञानो जैल सिंह : अमेडमेंट की बात नहीं इसको छोड़ दें । इस बिल की बात नहीं है । मैं टोहड़ा साहब से कहना चाहता हूँ कि आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेजिडेंट हैं आप को तमाम हिन्दुस्तान के सिक्खों

को इकट्ठा बुलाकर यह फैसला करना चाहिए कि हिन्दुस्तानी कौम है या नहीं है । आपको यह प्रचार नहीं करना चाहिए कि कौम नहीं है । तमाम हिन्दुस्तान में एक हिन्दुस्तानी कौम है । (व्यवधान) ... यहाँ न कोई मुस्लिम कौम है न बौद्ध कौम है और न जैन कौम है तमाम हिन्दुस्तान की कौम एक है और हिन्दुस्तान एक है । (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

Messages from the Lok Sabha

(I) The Appropriation (Railways) Bill, 1981.

(II) The Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1981.

(III) The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1981

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1981 as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 17th March, 1981. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of